[2018] 3 एस. सी. आर. 229

बार काउंसिल ऑफ इंडिया

वी.

ए. के. बालाजी और ओ. आर. एस.

(सिविल अपील सं। 7875-7879 2015)

13 मार्च, 2018

[आदर्श कुमार गोयल और उदय उमेश ललित, जे. जे.]

अधिवक्ता अधिनियम, 1961:

अधिवक्ताओं के संचालन के लिए तंत्र गैर-मुकदमेबाजी के काम पर भी लागू होता है-अधिनियम के अनुसार, अकेले बार काउंसिल में नामांकित अधिवक्ता कानून का अभ्यास करने के हकदार हैं-विदेशी कानून फर्म/कंपनियां या विदेशी वकील भारत में कानून के पेशे का अभ्यास नहीं कर सकते हैं। मुकदमेबाजी या गैर-मुकदमेबाजी के आधार पर-किसी भी विदेशी वकील की उड़ान में आना और बाहर जाना कानूनी अभ्यास के बराबर हो सकता है यदि यह नियमित आधार पर है-सलाह देने के लिए एक आकस्मिक यात्रा को अभिव्यक्ति अभ्यास द्वारा कवर नहीं किया जा सकता है '-क्या कोई विशेष यात्रा आकस्मिक है या बार-बार होती है ताकि अभ्यास करने के लिए स्थिति से स्थिति निर्धारित की जा सके-यह सही नहीं है कि अधिनियम केवल तभी लागू होता है जब कोई व्यक्ति भारतीय कानून का अभ्यास कर रहा हो-एक विदेशी वकील को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियामक तंत्र के अधीन किए बिना भारत में विदेशी कानून का अभ्यास करने का भी अधिकार नहीं है।

एसएस। 32 और 33-विदेशी विधि फर्मों/वकीलों के लिए अनुमति

मध्यस्थता कार्यवाही का संचालन-उत्पन्न होने वाले विवादों के संबंध में

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से संबंधित अनुबंध से बाहर-आयोजित: इस तरह की मध्यस्थता कार्यवाही का संचालन करने के लिए विदेशी वकील का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है-हालाँकि, एस. एस. को देखते हुए उन्हें ऐसी मध्यस्थता कार्यवाही का संचालन करने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। 32 और 33,

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यदि संस्थागत मध्यस्थता के नियम लागू होते हैं या मामला मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आता है-लेकिन वे भारत में कानूनी पेशे पर लागू आचार संहिता द्वारा शासित होंगे-तो केंद्र सरकार या बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस संबंध में नियम बनाने के लिए स्वतंत्र है।

अधिनियम की प्रयोज्यता-बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बी. पी. ओ.) कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुकूलित और एकीकृत सेवा के लिए-आयोजित: यदि ऐसी सेवाओं को कानून के अभ्यास के लिए लागू किया जाता है, तो अधिनियम लागू होगा-जिस तरीके से उन्हें शैलीबद्ध किया जाता है वह निर्णायक नहीं हो सकता है।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1. कानूनी पेशे की नैतिकता केवल तभी लागू नहीं होती है जब कोई अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है। यही बात भी लागू होती है

अधिवक्ता अधिनियम के अध्याय-IV में यह स्पष्ट किया गया है कि केवल बार काउंसिल में नामांकित अधिवक्ता ही कानून का अभ्यास करने के हकदार हैं, सिवाय इसके कि किसी अन्य कानून में अन्यथा प्रावधान किया गया है। अन्य सभी केवल उस अदालत, प्राधिकरण या व्यक्ति की अनुमति से उपस्थित हो सकते हैं जिसके समक्ष कार्यवाही लंबित है। विनियामक अधिवक्ताओं के संचालन के लिए तंत्र गैर-मुकदमेबाजी के काम पर भी लागू होता है। अधिवक्ता अधिनियम के तहत नामांकित अधिवक्ता के अलावा भारत में किसी भी व्यक्ति पर लागू निषेध निश्चित रूप से लागू होता है -

कोई भी विदेशी। बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट के इस विचार को बरकरार रखा गया है कि विदेशी विधि फर्म/कंपनियां या विदेशी वकील भारत में मुकदमेबाजी या गैर-मुकदमेबाजी पक्ष में कानून के पेशे का अभ्यास नहीं कर सकते हैं। [अनुच्छेद 40 और 44] [270-सी-ई; 271-ई-एफ] बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम।

ए. के. बालाजी और ओ. आर. एस.

प्रवीण सी. शाह बनाम के. ए. मोहम्मद अली (2001) 8 एससीसी 650: [2001] 3 पूरक। एस. सी. आर. 675; उदा. कैप्टन। हरीश उप्पल बनाम। भारत संघ (2003) 2 एससीसी 45: [2002] 5 पूरक। एस. सी. आर. 186 पर भरोसा किया।

3. किसी भी विदेशी वकील की उड़ान भरने और उड़ान भरने के आधार पर यात्रा करना कानूनी अभ्यास के बराबर हो सकता है यदि यह नियमित आधार पर है। एक आकस्मिक यात्रा

सलाह देने के लिए अभिव्यक्ति 'अभ्यास' द्वारा कवर नहीं किया जा सकता है। क्या कोई विशेष यात्रा आकस्मिक है या बार-बार होती है ताकि यह अभ्यास के बराबर हो, यह तथ्य का सवाल है जिसे स्थिति से स्थिति में निर्धारित किया जाना चाहिए। इस विवाद के मामले में कि क्या कोई विदेशी वकील भारत में अपने मुवक्किलों को विदेशी कानून या उनकी अपनी कानून प्रणाली और विविध अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर कानूनी सलाह देने के उद्देश्य से आकस्मिक आधार पर खुद को "उड़ान भरने और उड़ान भरने" तक सीमित कर रहा था। कानूनी मुद्दों या क्या वह वास्तव में ऐसा अभ्यास कर रहा था जो निषिद्ध है, यह बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। हालांकि, बार काउंसिल ऑफ इंडिया या भारत संघ इस संबंध में उचित नियम बनाने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसमें ऐसे मामलों में भी लागू होने वाली आचार संहिता का विस्तार करना शामिल है। यह सही नहीं है कि अधिवक्ता अधिनियम केवल तभी लागू होता है जब कोई व्यक्ति

भारतीय कानून का अभ्यास करना। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि एक विदेशी वकील अधीन किए बिना भारत में विदेशी कानून का अभ्यास करने का हकदार है। स्वयं बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के नियामक तंत्र के लिए। अधिवक्ता अधिनियम कंपनियों या फर्मों और व्यक्तियों के साथ समान रूप से व्यवहार करता है। यदि निषेध किसी व्यक्ति पर लागू होता है, तो यह व्यक्तियों के समूह या न्यायिक व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है। [पैरा 41 और 44] [270-एफ-जी; 271-जी-एच]

4. मद्रास उच्च न्यायालय का निर्देश कि विदेशी वकील

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से संबंधित अनुबंध से उत्पन्न विवादों के संबंध में मध्यस्थता कार्यवाही करने के लिए भारत आने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से संबंधित अनुबंध से उत्पन्न होने वाले विवादों के संबंध में मध्यस्थता कार्यवाही करने का विदेशी वकील को कोई पूर्ण अधिकार नहीं है। यदि संस्थागत मध्यस्थता के नियम लागू होते हैं या मामला मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों द्वारा कवर किया जाता है, तो विदेशी वकीलों को [2018] 3 एस. सी. आर. से उत्पन्न मध्यस्थता कार्यवाही करने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है।

अधिवक्ता अधिनियम की धारा 32 और 33 को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता। हालाँकि, वे द्वारा शासित होंगे भारत में कानूनी पेशे पर लागू आचार संहिता। बार काउंसिल ऑफ इंडिया या भारत संघ को इस संबंध में नियम बनाने की स्वतंत्रता है। [पैरा 45] [272-बी-डी]

5. न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देश को भी संशोधित करता है।

न्यायालय ने कहा कि बी. पी. ओ. कंपनियाँ विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती हैं

वर्ड प्रोसेसिंग, सेक्रेटेरियल सपोर्ट, ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज, प्रूफ रीडिंग सर्विसेज, ट्रैवल डेस्क सपोर्ट सर्विसेज आदि जैसी कस्टमाइज्ड और इंटीग्रेटेड सर्विसेज और फंक्शन एडवोकेट्स एक्ट, 1961 या बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के दायरे में नहीं आते हैं। ऐसी सेवाओं का केवल लेबल नहीं हो सकता है

निर्णायक माना जाता है। यदि वास्तव में सेवाएं कानून के अभ्यास के बराबर हैं, तो अधिवक्ता अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे और विदेशी कानून फर्मों या विदेशी वकीलों को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि उनकी सेवाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कानून के अभ्यास के बराबर नहीं हैं, तो अधिवक्ता अधिनियम लागू नहीं हो सकता है। यह एक ऐसा मामला है जिससे तथ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए मामले-दर-मामले के आधार पर निपटा जा सकता है। [पैरा 43 और 46] [271-डी-एफ]

(1976) 2 एससीसी 291: [1976] 2 एस. सी. आर. 48-संदर्भित। रोएल वी. न्यूयॉर्क काउंटी लॉयर्स एसोसिएशन 3 एन. वाई.

2 डी 224 (1957); एपेल बनाम। रेनर 43 एन. जे. 313 (1964);

204 ए 2 डी146; ज़ाउडर बनाम। अनुशासन का कार्यालय

वकील 471 यू. एस. 626 (1985); शापेरो बनाम। केंटकी बार

एसोसिएशन 486 यू. एस. 466-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1976] 2 एससीआर 48

संदर्भित किया गया है

पै

रा 31

[2001] 3 पूरक। एससीआर 675

उस पर भरोसा करें

पै

रा 38

उस पर भरोसा करें

[2002] 5 पूरक। एससीआर 186

पैरा 38 बार काउंसिल ऑफ इंडिया v. ए. के. बालाजी और ओ. आर. एस.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं। 7875

7879 2015 से।

2010 के डब्ल्यू. पी. सं. 5614 और एम. पी. सं. में मद्रास में उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से। 1 , 3 2010 के 5 तक।

के साथ

2015 की सिविल अपील Nos.8028 और 7170।

सी. यू. सिंह, राजीव दत्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, अर्घेन्दुमौली कुमार प्रसाद, सुश्री तरुणा अर्घेन्दुमौली प्रसाद, निर्मल कुमार अम्बस्थ, नमित सक्सेना, नकुल दीवान, विकास सिंह, हिमांशु चौबे, जैन मकबूल, सुश्री नीलू मोहन, सुश्री अभिषेक मलिक, सुभ्रो सान्याल, अपीलार्थी के वकील।

मनिंदर सिंह, एएसजी, अरविंद दातार, सज्जन पूवय्या, दुष्यंत

दवे, विकास सिंह, गुरुकृष्ण कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता, ऋषि कुमार, महेश अग्रवाल, सुश्री नीहा नागपाल, ऋषि अग्रवाल, ई. सी. अग्रवाल, सुश्री आस्था मेहता, रितिन राय, चित्रांशुल ए. सिन्हा, प्रियदर्शी बनर्जी,

श्रीमती अनिल कटियार, विक्रांत यादव (एमसी ढींगरा के लिए), आदित्य वर्मा, सुश्री जेनिफर रोहिता जेवियर, विकास सिंह जांगड़ा, सुश्री एस. लक्ष्मी, M.S.Ananth, मोअज्जम खान, अल्पक बनर्जी, दुष्यंत तिवारी, बृजेश कुमार, अक्षत गोयल (एम/के लिए) s.Lex प्रेरिटिया एंड कंपनी), नकुल दीवान, विकास सिंह, हिमांशु चौबे, जैन मकबूल, सुश्री नीलू मोहन,

सुश्री अभिषेक मलिक, सैयद जाफर आलम, विपुल वाधवा, एन. एल. गणपति, अमन शुक्ला, डॉ. ललित भसीन, याकेश आनंद, सुश्री अनिंदिता पुजारी, सुश्री त्रिवेणी पोटेकर, सैयद रेहान, सुश्री कविता भारद्वाज, सत्यजीत देसाई, सुश्री अनघा एस. देसाई, अर्घेन्डुमौली कुमार प्रसाद, सी. मुकुंद, पंकज जैन, एम. बी. इलाक्कुमानन, बिजॉय कुमार जैन, डॉ. ललित भसीन, सुश्री नीना गुप्ता, मुदित शर्मा, सुश्री पलक चड्ढा, तुषार शर्मा, पुरुषोत्तम शर्मा त्रिपाठी, श्रीमती शाली भसीन, रितिन राय, सी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था आदर्श कुमार गोएल, जे. 1. इस में शामिल मुद्दा

मामलों का समूह यह है कि क्या विदेशी विधि फर्मों/वकीलों को अनुमति है

भारत में अभ्यास करें। दो प्रमुख मामलों का संदर्भ दिए जाने की आवश्यकता है। ए. के. बालाजी बनाम भारत सरकार में 21 फरवरी, 2012 के मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा 2015 की सिविल अपील दायर की गई है। लॉयर्स कलेक्टिव बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया 2 में 16 दिसंबर, 2009 के बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ ग्लोबल इंडियन लॉयर्स द्वारा 2015 की सिविल अपील दायर की गई है।

2. मद्रास उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

" 63. तथ्यों और कानून दोनों पर इस मामले पर अपनी उत्सुकता से विचार करने के बाद, हम निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचते हैं:

(i) विदेशी विधि फर्म या विदेशी वकील भारत में कानूनी पेशे का अभ्यास तब तक नहीं कर सकते जब तक कि वे अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियमों की आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं।

(ii) हालांकि, विदेशी कानूनी फर्मों या विदेशी वकीलों के लिए भारत आने के लिए अधिनियम या नियमों में कोई रोक नहीं है।

"फ्लाई इन एंड फ्लाई आउट" आधार पर अस्थायी अवधि, के लिए

भारत में अपने ग्राहकों को कानूनी सलाह देने का उद्देश्य

विदेशी कानून या उनकी अपनी कानून प्रणाली के बारे में और

विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मुद्दे।

(iii) इसके अलावा, के उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए

में शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996, विदेशी वकील नहीं कर सकते

भारत आने और मध्यस्थता करने के लिए प्रतिबंधित किया जाए

किसी अनुबंध से उत्पन्न होने वाले विवादों के संबंध में कार्यवाही

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से संबंधित।

(iv) बी. पी. ओ. कंपनियाँ जो अपने ग्राहकों को वर्ड-प्रोसेसिंग, सेक्रेटेरियल सपोर्ट, ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज, प्रूफ-रीडिंग सर्विसेज, ट्रैवल डेस्क सपोर्ट सर्विसेज आदि जैसी अनुकूलित और एकीकृत सेवाओं और कार्यों की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती हैं, वे अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के दायरे में नहीं आती हैं या

1 एयर 2012 मैड 124

2 2010 (2) भारत की मह एल. जे. 726 बार परिषद बनाम. ए. के. बालाजी और ओ. आर. एस. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियम। हालाँकि, इन बी. पी. ओ. कंपनियों के खिलाफ किसी भी शिकायत के उल्लंघन की स्थिति में

अधिनियम के प्रावधान, भारतीय बार काउंसिल ले सकता है

ऐसी गलती करने वाली कंपनियों के खिलाफ उचित कार्रवाई। 3. दूसरी ओर, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि

बनाम -

" 60. उपरोक्त सभी कारणों से, हमारा मानना है कि वर्तमान मामले के तथ्यों में, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1973 के अधिनियम की धारा 29 के तहत विदेशी कानूनी फर्मों को भारत में संपर्क कार्यालय खोलने की अनुमति देना उचित नहीं था। हम आगे मानते हैं कि धारा में 'कानून के पेशे का अभ्यास करने के लिए अभिव्यक्तियाँ'

29 1961 के अधिनियम में व्यक्तियों को शामिल करने के लिए पर्याप्त विस्तार है।

मुकदमेबाजी के मामलों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ-साथ गैर-मुकदमेबाजी के मामलों में कार्य करने वाले व्यक्तियों और इसलिए, भारत में गैर-मुकदमेबाजी के मामलों में कार्य करने के लिए, प्रतिवादी संख्या। 12 14 तक 1961 के अधिनियम में निहित प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य थे। याचिका

लागत के रूप में बिना किसी आदेश के तदनुसार निपटान किया जाता है।

4. जब मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ मामला 4 जुलाई, 2012 को इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आया,

एम आदेश पारित किया गया था:

" इस बीच, यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 के तहत विदेशी कानूनी फर्मों को भारत में संपर्क कार्यालय खोलने की कोई अनुमति नहीं देगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 29 के तहत "कानून के पेशे का अभ्यास करना" अभिव्यक्ति में वकालत करने वाले व्यक्ति शामिल हैं।

विवादित आदेश के पैरा 63 (ii) में विचार किए गए मामलों के अलावा मुकदमेबाजी के मामलों के साथ-साथ गैर-मुकदमेबाजी के मामलों और इसलिए, भारत में गैर-मुकदमेबाजी के मामलों में अभ्यास करने के लिए विदेशी विधि संस्थान, चाहे जो भी नाम से बुलाए या वर्णित हों, अधिवक्ताओं में निहित प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

अधिनियम, 1961 "।

उक्त आदेश उसके बाद भी जारी रहा और अभी भी लागू है।

5. 2015 की सिविल अपील में मद्रास उच्च न्यायालय में अधिवक्ता ए. के. बालाजी द्वारा रिट याचिका दायर की गई थी। आधिकारिक उत्तरदाताओं के अलावा, यू. के., यू. एस. ए., फ्रांस और [2018] 3 एस. सी. आर. की 32 कानूनी फर्में।

ऑस्ट्रेलिया को 9 से 40 उत्तरदाताओं के रूप में शामिल किया गया है। रिट याचिका में प्रार्थना है कि मूल उत्तरदाता 9 से 40 या किसी अन्य विदेशी विधि फर्म या विदेशी वकीलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो भारत में अवैध रूप से कानून के पेशे का अभ्यास कर रहे हैं और उन्हें मुकदमेबाजी पक्ष और वाणिज्यिक क्षेत्र में किसी भी अवैध अभ्यास से बचने का निर्देश दिया जाए।

किसी भी तरह से लेनदेन।

दुआएँ

6. याचिका में कहा गया है कि रिट याचिकाकर्ता तमिलनाडु बार काउंसिल में नामांकित एक वकील था। भारत में कानून का अभ्यास करने के लिए, एक व्यक्ति को भारतीय नागरिक होना चाहिए और भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून में डिग्री होनी चाहिए। अन्य देशों के नागरिकों को भारत में अधिवक्ताओं के रूप में तभी प्रवेश दिया जा सकता है जब भारत के नागरिकों को ऐसे अन्य देशों में वकालत करने की अनुमति हो। भारत के बाहर के विश्वविद्यालय से कानून की विदेशी डिग्री के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता की आवश्यकता होती है। भारतीय अधिवक्ताओं को यू. के., यू. एस. ए., ऑस्ट्रेलिया और अन्य विदेशी देशों में अभ्यास करने की अनुमति नहीं है सिवाय कड़ी मेहनत करने के

योग्यता परीक्षण, अनुभव, कार्य अनुमति जैसे प्रतिबंध। विदेशी वकीलों को पारस्परिकता के बिना भारत में वकालत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

7. अधिवक्ता अधिनियम (अधिनियम) के तहत, एक विदेशी धारा 29 में निहित बाधा को देखते हुए भारत में वकालत करने का हकदार नहीं है। हालांकि,

एल. पी. ओ. एस. (कानूनी प्रक्रिया आउटसोर्सिंग) की आड़ में, संचालन

सेमिनार और मध्यस्थता, विदेशी वकील आगंतुक वीजा पर भारत आ रहे हैं और अवैध रूप से अभ्यास कर रहे हैं। वे कर और आप्रवासन कानूनों का भी उल्लंघन करते हैं। उन्होंने विलय, अधिग्रहण, अधिग्रहण, समामेलन आदि के क्षेत्रों में अभ्यास के लिए भारत में अपने कार्यालय भी खोले हैं। बार काउंसिल का अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र केवल अधिनियम के तहत नामांकित अधिवक्ताओं तक फैला हुआ है। भारत में, कानूनी पेशे को समाज की सेवा करने के लिए एक महान पेशे के रूप में माना जाता है और इसे एक व्यवसाय के रूप में नहीं माना जाता है, लेकिन विदेशी कानून फर्म इस पेशे को धन अर्जित करने के लिए व्यापार और व्यावसायिक उद्यम के रूप में मानते हैं। भारतीय वकीलों को विज्ञापन देने, प्रचार करने और काम की गुहार लगाने से प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन विदेशी कानूनी कंपनियां वेबसाइटों और प्रचार के माध्यम से विज्ञापन दे रही हैं और परिणामों का आश्वासन देकर काम की गुहार लगा रही हैं। कई लेखांकन और प्रबंधन

फर्म स्नातकों को भी नियुक्त कर रहे हैं और इस प्रकार कानूनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

8. भारत संघ का रुख शुरू में यह था कि यदि विदेशी कानूनी फर्मों को बातचीत में भाग लेने की अनुमति नहीं है, तो दस्तावेजों का निपटान किया जाएगा और भारत में मध्यस्थता, यह भारत को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का केंद्र बनाने के उद्देश्य में बाधा डालेगा। भारत की बार परिषद के रूप में भारतीय न्यायाधीशों के साथ कई मध्यस्थता।

ए. के. बालाजी और ओ. आर. एस. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

ए. टी. ओ. आर. और भारतीय वकीलों को भारत के बाहर रखा जाता है जहाँ विदेशी और एन लॉ फर्म अपने मुवक्किलों को सलाह देते हैं। भारत में मध्यस्थता के लिए विदेशी कानून के प्रवेश को छोड़कर कई मध्यस्थताएँ स्थानांतरित हो जाएंगी

इसके अलावा, पेरिस और लंदन, राष्ट्र की घोषित नीति के विपरीत और राष्ट्रीय हित के खिलाफ। हालाँकि, 19 अप्रैल, 2011 और 17 नवंबर, 2011 के बयानों में इसका अंतिम रुख उच्च न्यायालय के फैसले के पैरा 3 में निम्नानुसार अलग था:

" 3. भारत के प्रथम प्रतिवादी संघ ने चार प्रतिवाद दायर किए

19.08.2010,24.11.2010,19.04.2011 और

17.11.2011 . जवाबी हलफनामों में से एक में, यह कहा गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत स्थापित किया गया है, उन अधिवक्ताओं को नियंत्रित करता है जो "रोल" पर हैं, लेकिन इस तरह की कानूनी फर्मों को पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है स्वयं किसी भी वैधानिक प्राधिकरण के समक्ष, और न ही उन्हें इसकी आवश्यकता है

गैर-मुकदमेबाजी अभ्यास में शामिल होने की कोई अनुमति।

इस खामियों का फायदा उठाते हुए, कई लेखा और प्रबंधन फर्म कानून स्नातकों को नियुक्त कर रहे हैं जो कानूनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जो अधिवक्ता अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। यह कहा गया है कि भारत सरकार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इस मुद्दे पर विचार कर रही है और कोशिश कर रही है कि इस संबंध में एक नियामक ढांचा तैयार करना। पहला

प्रत्यर्थी ने अपने काउंटर में चेतावनी दी है कि अगर विदेशी कानूनी फर्मों को बातचीत में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो समझौता करें

भारत में दस्तावेजों और मध्यस्थताओं के कारण, भारत को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का केंद्र बनाने के सरकार के उद्देश्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस संबंध में, यह कहा गया है कि मध्यस्थों के रूप में भारतीय न्यायाधीशों और वकीलों के साथ कई मध्यस्थता भारत के बाहर आयोजित किए जाते हैं, जहां विदेशी और भारतीय दोनों कानूनी फर्म अपने मुवक्किलों को सलाह देते हैं। यदि विदेशी विधि फर्मों को भारत में मध्यस्थता से निपटने के लिए प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है, तो भारत सिंगापुर, पेरिस और लंदन से कई मध्यस्थता खो देगा।

यह सरकार की घोषित नीति के विपरीत और राष्ट्रीय हित के खिलाफ होगा। दाखिल किए गए जवाबी हलफनामे में

19.04.2011 पर, यह कहा गया है कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 29 में संशोधन पर विचार करने का प्रस्ताव।

विदेशी कानूनी फर्मों को विदेशों के साथ पारस्परिकता के आधार पर गैर-कानूनी मामलों में भारत में कानून का अभ्यास करने की अनुमति देना भारतीय बार काउंसिल के परामर्श के तहत है।

17.11.2011 पर दाखिल किए गए काउंटर में कहा गया है कि

भारत सरकार ने इस रुख का समर्थन करने का फैसला किया है

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि अधिवक्ता अधिनियम के प्रावधान,

1961 मुकदमेबाजी और गैर दोनों के लिए समान बल के साथ लागू होगा

कानून का कानूनी अभ्यास, और यह केवल उन व्यक्तियों के लिए है जो इसके तहत नामांकित हैं अधिनियम की धारा 24, जो भारतीय के समक्ष अभ्यास कर सकता है

अदालतें "।

(जोर दिया गया)

9. इस न्यायालय में, भारत संघ का रुख यह है कि वर्तमान में यह है

इस विषय पर नियम बनाने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया की प्रतीक्षा है। हालाँकि, यह किसी भी स्तर पर धारा 49 ए के तहत नियम बना सकता है।

10. उच्च न्यायालय के समक्ष बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रुख है -

कि गैर-कानूनी प्रथा को भी कानून के अभ्यास में शामिल किया गया है जो केवल अधिनियम के तहत नामांकित अधिवक्ताओं द्वारा किया जा सकता है। रिलायंस को लॉयर्स कलेक्टिव (ऊपर) में बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले पर रखा गया था। अधिनियम की धारा 24 और 29 को आगे संदर्भित किया गया था। धारा 49 (1) (ई) के साथ पठित धारा 47 (2) में अभ्यास के लिए मान्यता प्राप्त विदेशियों की योग्यताओं को मान्यता देने का प्रावधान है। यह था। प्रस्तुत किया कि भारत में विदेशी वकीलों का अभ्यास बार काउंसिल की नियामक शक्तियों के अधीन होना चाहिए।

11. विदेशी कानूनी फर्मों का रुख, अन्य बातों के साथ, यह है कि कोई नहीं है

बौद्धिक, व्यवसाय और औद्योगिक संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में परामर्श/सहायता सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी पर प्रतिबंध

स्वामित्व अधिकार, बाजार सेवा और बाजार अनुसंधान करना, रिपोर्टों, पत्रिकाओं आदि का प्रकाशन। एक व्यक्ति जो न्यायालयों के समक्ष उपस्थित नहीं होता है

या न्यायाधिकरणों और कानूनी सलाह न देने को कानून का अभ्यास नहीं कहा जा सकता है। नौवें प्रतिवादी ने कहा कि यह कंपनियों के समूह का हिस्सा था

और एक कानूनी फर्म नहीं थी और भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत विधिवत पंजीकृत थी। दसवें प्रतिवादी, एक अन्य विदेशी विधि फर्म, ने प्रस्तुत किया कि विदेशी कानून पर सलाह देने में कानून का कोई उल्लंघन नहीं है। यहां तक कि भारतीय वकीलों को भी भारत के बाहर वकालत करने की अनुमति है और पारस्परिकता का मुद्दा भारत सरकार द्वारा तय किया जाने वाला एक नीतिगत मामला है। इसका भारत में कोई विधि कार्यालय नहीं है और यह भारतीय कानूनों पर सलाह नहीं देता है। इंग्लैंड में, विदेशी वकील इंग्लैंड की राष्ट्रीयता की आवश्यकता या योग्यता के बिना अपनी स्वयं की कानून प्रणाली पर सलाह देने के लिए स्वतंत्र हैं। ग्यारहवाँ प्रतिवादी एक अमेरिकी कानूनी फर्म है और उसने प्रस्तुत किया कि वह विभिन्न देशों के अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मुद्दों पर ग्राहकों को सलाह देता है।

भारतीय ग्राहक बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम ए. के. बालाजी और ओ. आर. एस. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

अनुकूलित और एकीकृत सेवाओं और कार्यों की विस्तृत श्रृंखला। सोलहवें प्रतिवादी ने यह भी कहा कि इसका भारत में कोई कार्यालय नहीं है और यह केवल भारतीय कानून के अभ्यास के अलावा अन्य सेवाएं प्रदान कर रहा है। अठारहवें प्रतिवादी ने कहा कि उसका भारत में कोई कार्यालय नहीं है और वह भारत में कानून का अभ्यास नहीं करता है। यह केवल गैर-भारतीय कानून पर सलाह देता है। उत्तरदाता नं. 19 , 26 , 39 और 40 ने कहा कि वे इंग्लैंड के कानूनों के तहत सीमित कानूनी साझेदारी हैं। भारत में उनका कोई कानूनी कार्यालय नहीं है। उत्तरदाताओं Nos.20,21,24,25,27,28,30,31,32,33,34 और 38 ने यह भी कहा कि उनका भारत में कोई कार्यालय नहीं है और वे भारतीय कानून का पालन नहीं करते हैं। भारतीय

वकील विदेशी कानूनों पर सलाह नहीं दे सकते हैं और इस संबंध में भारतीय वादियों की आवश्यकता विदेशी वकीलों द्वारा पूरी की जाती है। इसके वकील उड़ते हैं और उड़ते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन पर ग्राहकों को सलाह देने के लिए आवश्यकता के आधार पर भारत से बाहर। जिस हद तक भारतीय कानून शामिल है, ऐसे मामलों को भारतीय वकीलों द्वारा संबोधित किया जाता है।

भारतीय कानूनों के अलावा। इसका इंडिया प्रैक्टिस ग्रुप ग्राहकों को विलय से संबंधित "भारतीय तत्व" से जुड़े वाणिज्यिक मामलों पर सलाह देता है। एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी दृष्टिकोण से अधिग्रहण, पूंजी बाजार, परियोजनाएं, ऊर्जा और बुनियादी ढांचा, आदि और यह अभ्यास [2018] 3 एस. सी. आर. के बराबर नहीं है।

भारतीय कानून में। उत्तरदाता No.23 ने कहा कि वह केवल अंग्रेजी, यूरोपीय संघ और हांगकांग के कानूनों के मामलों पर सलाह दे रहा है। यह काम करता है।

प्रमुख क्षेत्राधिकारों में प्रमुख कानूनी फर्मों के साथ संबंध और उपयुक्त स्थानीय कानूनी फर्मों को स्थानीय कानूनी सलाह प्रदान करने का निर्देश देता है। उत्तरदाता

No.29 ने कहा कि यह इंग्लैंड और वेल्स में पंजीकृत एक सीमित कानूनी साझेदारी है और इसका भारत में कोई कार्यालय नहीं है। यह भारतीय अदालतों में पक्षकारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और न ही भारतीय कानून पर सलाह देता है। प्रत्यर्थी No.35 ने कहा कि यह भारत में कोई कार्यालय और अंतर्राष्ट्रीय कानून में अपनी विशेषज्ञता नहीं रखता है। 36 उत्तरदाता ने कहा कि यह भारतीय कानून का पालन नहीं करता है और है

भारत में कोई कार्यालय नहीं है और न ही यह किसी एल. पी. ओ. का संचालन करता है। इसके वकील अंतरराष्ट्रीय लेनदेन या ऑस्ट्रेलियाई कानूनों या अंतर्राष्ट्रीय पीठों से जुड़े मामलों पर ग्राहकों को सलाह देने के लिए आवश्यकता के आधार पर आते हैं और बाहर जाते हैं, जिसमें एक भारतीय घटक है। भारतीय कानूनों का कार्य भारतीय वकीलों को सौंपा गया है। 37 वें प्रतिवादी ने इस बात से इनकार किया कि उसका भारत में कोई कार्यालय है या वह भारत में एल. पी. ओ. चला रहा है। यह केवल भारतीय कानून के अलावा अन्य नियामक कानूनों के संबंध में सलाह देता है।

अंतरण

14. उच्च न्यायालय ने विदेशी विधि फर्मों की इस आशय की याचिका को बरकरार रखा कि ऐसी फर्मों के बातचीत में भाग लेने पर कोई रोक नहीं है।

भारत में दस्तावेजों का निपटान और मध्यस्थता का संचालन। बौद्धिक, व्यवसाय और औद्योगिक स्वामित्व अधिकारों के संरक्षण और प्रबंधन, बाजार सर्वेक्षण और अनुसंधान, रिपोर्टों, पत्रिकाओं आदि के प्रकाशन के क्षेत्र में बिना कोई कानूनी सलाह दिए परामर्श/सहायता सेवाओं को जारी रखने पर कोई रोक नहीं थी। इसे भारत में कानून की प्रथा के रूप में नहीं माना जा सकता था। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (मध्यस्थता अधिनियम) की धारा 2 (1) (च) का उल्लेख करते हुए, यह देखा गया कि यदि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में भारत को मध्यस्थता के केंद्र के रूप में चुना जाता है, तो विदेशी संविदाकारी पक्ष अनुबंध पर अपने ही देश के वकीलों से सहायता लेने के लिए बाध्य है। ऐसे विदेशी वकीलों के लिए विदेशी कानून पर अपने मुवक्किलों को सलाह देने पर कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता है। 15. लॉयर्स कलेक्टिव (उपरोक्त) में बंबई उच्च न्यायालय के निर्णय को इस आधार पर अलग किया गया था कि गंभीर और गैर-कानूनी मामलों के लिए विधि कार्यालयों की स्थापना अलग थी, लेकिन यदि कोई विदेशी विधि फर्म भारत में कोई संपर्क कार्यालय स्थापित किए बिना अपने मुवक्किलों को विदेशी कानून पर सलाह देती है, तो ऐसा करने के लिए कोई कानूनी बाधा नहीं थी।

16. बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा:

बार काउंसिल ऑफ इंडिया v. ए. के. बालाजी और ओ. आर. एस. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

" 44. ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक से संपर्क करने से पहले इन विदेशी कानूनी कंपनियों ने विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (संक्षेप में एफ. आई. पी. बी.) से संपर्क किया था, जो एक उच्च शक्ति संपन्न निकाय है।

नई औद्योगिक नीति के तहत इस मामले में उनकी मंजूरी मांगी गई है। एफ. आई. पी. बी. ने विदेशी विधि कंपनियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। इसके बाद, इन कानूनी फर्मों ने भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी मांगी और एफ. आई. पी. बी. की अस्वीकृति के बावजूद भारतीय रिजर्व बैंक ने मंजूरी दे दी। हालाँकि याचिका में इस संबंध में विशिष्ट शिकायत की गई है, लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक ने उन शिकायतों से निपटने का विकल्प नहीं चुना है।

जवाब में अपने शपथ पत्र में शिकायतें। इस प्रकार, वर्तमान मामले में, स्पष्ट रूप से, भारतीय रिजर्व बैंक और एफ. आई. पी. बी. द्वारा लिया गया रुख पारस्परिक रूप से है।

विरोधाभासी। 45. किसी भी मामले में, यहां विचार करने के लिए मौलिक प्रश्न यह है कि क्या विदेशी कानूनी फर्म अर्थात् प्रतिवादी हैं।

नं. 12 14 भारत में संपर्क कार्यालय खोलकर 1961 के अधिनियम के तहत अधिवक्ताओं के रूप में नामांकित हुए बिना गैर-कानूनी मामलों में अभ्यास जारी रखा जा सकता है?

46. उपरोक्त पर प्रतिद्वंद्वी विवादों से निपटने से पहले प्रश्न, हम धारा 29,30,33 और 35 को उद्धृत कर सकते हैं

1961 अधिनियम, जो इस प्रकार है:

29. अधिवक्ता कानून का अभ्यास करने के हकदार व्यक्तियों का एकमात्र मान्यता प्राप्त वर्ग होगा। - इस अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के अधीन, नियत दिन से, कानून के पेशे का अभ्यास करने के हकदार व्यक्तियों का केवल एक वर्ग होगा, अर्थात् अधिवक्ता। (नहीं।

अब तक लागू किया गया) 30. अधिवक्ताओं का अभ्यास करने का अधिकार। -इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक अधिवक्ता जिसका नाम राज्य सूची में दर्ज किया गया है, वह पूरे समय वकालत करने के अधिकार का हकदार होगा।

जिन क्षेत्रों तक यह अधिनियम फैला हुआ है,

((i) उच्चतम न्यायालय सहित सभी न्यायालयों में; ((ii) किसी भी न्यायाधिकरण या कानूनी रूप से अधिकृत व्यक्ति के समक्ष

सबूत लें;

((ग) किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति के समक्ष जिसके समक्ष ऐसा अधिवक्ता किसी कानून द्वारा या उसके अधीन कुछ समय के लिए

अभ्यास करने के लिए हकदार बल।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

33. केवल अधिवक्ता ही वकालत करने के हकदार हैं। -सिवाय इसके कि

इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में अन्यथा उपबंधित, कोई भी व्यक्ति, नियत दिन या उसके बाद, किसी भी न्यायालय में या किसी प्राधिकरण या व्यक्ति के समक्ष वकालत करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि वह एक अधिवक्ता के रूप में नामांकित न हो। इस अधिनियम के तहत।

35. दुराचार के लिए अधिवक्ताओं की सजा-(1) जहां किसी शिकायत की प्राप्ति पर या अन्यथा राज्य बार काउंसिल के पास यह मानने का कारण है कि उसके रोल पर कोई अधिवक्ता पेशेवर या अन्य कदाचार का दोषी रहा है, तो वह मामले को निपटाने के लिए अपनी अनुशासनात्मक समिति को भेजेगा।

(1 - ए) राज्य बार काउंसिल, अपने स्वयं के प्रस्ताव या किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर,

अपने अनुशासन से पहले लंबित कार्यवाही को वापस लें समिति और उस राज्य बार काउंसिल की किसी अन्य अनुशासनात्मक समिति द्वारा जांच करने का निर्देश दें।

(2) राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति मामले की सुनवाई के लिए एक तारीख तय करेगी और संबंधित अधिवक्ता और राज्य के महाधिवक्ता को इसकी सूचना देगी।

(3) राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति संबंधित अधिवक्ता और महाधिवक्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद निम्नलिखित में से कोई भी आदेश दे सकती है, अर्थात्:

(ग) अधिवक्ता को अभ्यास या ऐसी अवधि से निलंबित कर दे जो वह उचित समझे। (घ) राज्य सूची से अधिवक्ता का नाम हटा दें।

अधिवक्ताओं से।

(4) जहां किसी अधिवक्ता को उप-धारा (3) के खंड (सी) के तहत वकालत करने से निलंबित किया जाता है, वहां उसे निलंबन की अवधि के दौरान किसी भी न्यायालय में वकालत करने से प्रतिबंधित किया जाएगा।

या भारत में किसी प्राधिकरण या व्यक्ति के समक्ष।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया v. ए. के. बालाजी और ओ. आर. एस. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

(5) जहां उप-धारा (2) के तहत महाधिवक्ता को कोई नोटिस जारी किया जाता है, वहां महाधिवक्ता राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से या अपनी ओर से उपस्थित होने वाले किसी भी अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हो सकता है। स्पष्टीकरण-इस धारा (धारा 37 और धारा 38) में, "महाधिवक्ता" और "राज्य के महाधिवक्ता" शब्दों का अर्थ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के संबंध में अतिरिक्त सॉलिसिटर से होगा।

भारत के जनरल।

47. विदेशी विधि फर्मों का तर्क है कि 1961 के अधिनियम की धारा 29 घोषणात्मक प्रकृति की है और उक्त धारा केवल उन व्यक्तियों को निर्दिष्ट करती है जो कानून के पेशे का अभ्यास करने के हकदार हैं। प्रत्यर्थी संख्या के अनुसार। 12 14, 1961 के अधिनियम की धारा 29 में 'विधि के पेशे का अभ्यास करने का हकदार' अभिव्यक्ति उस क्षेत्र को निर्दिष्ट नहीं करती है जिसमें विधि के पेशे का अभ्यास किया जा सकता है। यह 1961 के अधिनियम की धारा 33 है जो यह प्रावधान करती है कि अकेले अधिवक्ता किसी भी न्यायालय में या किसी भी प्राधिकरण या व्यक्ति के समक्ष वकालत करने के हकदार हैं। इसलिए, प्रतिवादी संख्या के अनुसार। 12 14 से 1961 तक

अधिनियम किसी भी न्यायालय/प्राधिकरण के समक्ष अधिवक्ता के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों पर लागू होता है और गैर-कानूनी मामलों में कार्य करने वाले व्यक्तियों पर नहीं। इसलिए, विचार करने योग्य प्रश्न यह है कि क्या

1961 का अधिनियम केवल उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो मुकदमेबाजी के मामलों में वकालत करते हैं, यानी न्यायालय और अन्य प्राधिकरणों के समक्ष वकालत करते हैं।

48. 1961 के अधिनियम को लागू करने के उद्देश्यों और कारणों के विवरणों में कहा गया है कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य अखिल भारतीय बार काउंसिल की स्थापना करना और बार काउंसिल की एक सामान्य सूची बनाना है।

सामान्य सूची पर अधिवक्ताओं और अधिवक्ताओं को अधिकार है

उच्चतम न्यायालय सहित देश के किसी भी हिस्से में और किसी भी न्यायालय में वकालत करें। इस प्रकार, उद्देश्यों और कारणों के विवरण से, यह देखा गया है कि 1961 के अधिनियम का उद्देश्य (एक) देश के किसी भी हिस्से में कानून के पेशे का अभ्यास करने वाले व्यक्तियों और (दो) सर्वोच्च न्यायालय सहित किसी भी न्यायालय में कानून के पेशे का अभ्यास करने वाले व्यक्तियों पर लागू होना है। इस प्रकार, उद्देश्यों और कारणों के विवरण से यह स्पष्ट है कि 1961 के अधिनियम का उद्देश्य न केवल अभ्यास करने वाले व्यक्तियों पर लागू होना है

न्यायालयों के समक्ष लेकिन इसका उद्देश्य उन व्यक्तियों पर भी लागू होना है जो न्यायालय के बाहर गैर-कानूनी मामलों में वकालत कर रहे हैं।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

49. उपरोक्त के अलावा, 1961 के अधिनियम की धारा 29 में विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया है कि नियत दिन से, कानून के पेशे का अभ्यास करने के हकदार व्यक्तियों का केवल एक वर्ग होगा, अर्थात् अधिवक्ता। यह स्पष्ट है कि 1961 के अधिनियम से पहले कानून के पेशे का अभ्यास करने के हकदार व्यक्तियों के विभिन्न वर्ग थे और नियत दिन से कानून के पेशे का अभ्यास करने वाले व्यक्तियों के ये सभी वर्ग,

एक वर्ग, अर्थात् अधिवक्ताओं का गठन करेगा। इस प्रकार, 1961 के अधिनियम की धारा 29 स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि नियत दिन से

50. 1961 के अधिनियम की धारा 33 इस अर्थ में एक निषेधात्मक धारा है कि यह किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति के समक्ष उपस्थित होने से रोकती है। अदालत या प्राधिकरण जब तक कि वह 1961 के अधिनियम के तहत एक वकील के रूप में नामांकित न हो। 1961 के अधिनियम की धारा 33 में निहित बाधा का 1961 के अधिनियम की धारा 29 के तहत अधिवक्ताओं के रूप में नामांकित होने के हकदार व्यक्तियों से कोई लेना-देना नहीं है। 1961 के अधिनियम की धारा 29 के तहत एक वकील के रूप में नामांकित व्यक्ति, हो सकता है या हो सकता है

न्यायालयों के समक्ष उपस्थित होने के इच्छुक नहीं होंगे। हो सकता है कि वह केवल गैर-कानूनी मामलों में अभ्यास करने में रुचि रखता हो। इसलिए, धारा 33 के तहत किसी भी न्यायालय में उपस्थित होने पर रोक (सिवाय इसके कि

जब 1961 के अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम की धारा 32 के तहत अदालत द्वारा अनुमति दी जाती है) जब तक कि एक वकील के रूप में नामांकित किसी व्यक्ति को धारा 29 के तहत वकील के रूप में नामांकित होने से नहीं रोकता है। गैर-कानूनी मामलों में कानून के पेशे का अभ्यास करने के लिए 1961 अधिनियम। पूर्व-कैप्टन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय। हरीश उप्पल (ऊपर) ने अभिनिर्धारित किया है कि अभ्यास करने का अधिकार वह वंश है जिसका न्यायालय में उपस्थित होने और मामलों का संचालन करने का अधिकार एक विशिष्ट प्रकार हो सकता है। इसलिए, यह तथ्य कि 1961 के अधिनियम की धारा 33 में यह प्रावधान है कि अकेले अधिवक्ता किसी भी न्यायालय/प्राधिकरण के समक्ष वकालत करने के हकदार हैं, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि 1961 का अधिनियम केवल मुकदमेबाजी के मामलों में वकालत करने वाले व्यक्तियों पर लागू होता है और गैर-कानूनी मामलों में वकालत करने वाले व्यक्ति पर लागू नहीं होगा।

मुकदमेबाजी के मामले।

51. यह तर्क दिया गया कि 1961 के अधिनियम में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए उल्लंघनों के लिए कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है

गैर-कानूनी मामलों में वकालत करना और इसलिए, 1961 बार काउंसिल ऑफ इंडिया v.

ए. के. बालाजी और ओ. आर. एस. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

गैर-कानूनी मामलों में काम करने वाले व्यक्तियों पर अधिनियम लागू नहीं हो सकता है। इस तर्क में कोई योग्यता नहीं है, क्योंकि 1961 के अधिनियम की धारा 35 एक ऐसे अधिवक्ता को सजा प्रदान करती है जो पेशेवर या अन्य कदाचार का दोषी पाया जाता है। तथ्य यह है कि 1961 के अधिनियम की धारा 45 व्यक्तियों के लिए कारावास का प्रावधान करती है

न्यायालयों में और अन्य प्राधिकरणों के समक्ष अवैध रूप से कार्य करते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि 1961 के अधिनियम में गैर-कानूनी मामलों में कार्य करते हुए दुराचार के दोषी पाए गए व्यक्तियों से निपटने के प्रावधान नहीं हैं। एक बार जब यह माना जाता है कि 1961 के अधिनियम के तहत कानून के पेशे का अभ्यास करने के हकदार व्यक्ति मुकदमेबाजी के मामलों के साथ-साथ गैर-मुकदमेबाजी के मामलों में कानून के पेशे का अभ्यास करने वाले व्यक्तियों को शामिल करते हैं, तो 1961 के अधिनियम की धारा 35 में निहित दंडात्मक प्रावधान न केवल मुकदमेबाजी के मामलों में काम करने वाले व्यक्तियों पर लागू होंगे, बल्कि गैर-मुकदमेबाजी के मामलों में कानून के पेशे का अभ्यास करने वाले व्यक्तियों पर भी लागू होंगे। 1961 के अधिनियम और बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कानूनी पेशे का अभ्यास करने वाले व्यक्ति, चाहे वे मुकदमेबाजी के मामलों में हों या गैर-मुकदमेबाजी के मामलों में, पेशेवर आचरण और शिष्टाचार में उच्च मानकों को बनाए रखें और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि गैर-मुकदमेबाजी के मामलों में अभ्यास करने वाले व्यक्ति 1961 के अधिनियम द्वारा शासित नहीं हैं। 52. ओ. एन. मोहिंद्रू (उपरोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर प्रतिवादी संख्या 12 के वकील द्वारा उनकी इस दलील के समर्थन में मजबूत निर्भरता रखी गई थी कि 1961 का अधिनियम केवल अदालतों/न्यायाधिकरणों/अन्य प्राधिकरणों के समक्ष कानून के पेशे का अभ्यास करने वाले व्यक्तियों पर लागू होता है। यह सच है कि उपरोक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि 1961 का अधिनियम संसद द्वारा सातवीं अनुसूची की सूची I में प्रविष्टि 77 और 78 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियमित किया गया है।

न्यायालय और उच्च न्यायालयों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि 1961 का अधिनियम केवल उन व्यक्तियों तक ही सीमित है जो न्यायालय के समक्ष वकालत करते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। कानून के पेशे का अभ्यास करने में एक बड़ी अवधारणा शामिल है, जबकि अदालतों के समक्ष अभ्यास करना उस अवधारणा का केवल एक हिस्सा है। यदि उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत शाब्दिक संरचना को स्वीकार कर लिया जाता है, तो [2018] 3 एस. सी. आर.

केवल उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों और संसद के समक्ष वकालत करने वाले अधिवक्ताओं के संबंध में कानून बनाने के लिए सातवीं अनुसूची की सूची I में प्रविष्टि 77 और 78 के तहत संसद उस प्रविष्टि के तहत निम्नलिखित के संबंध में कानून नहीं बना सकती है:

जिला न्यायालयों/मजिस्ट्रेट के समक्ष वकालत करने वाले अधिवक्ता

न्यायालयों/अन्य न्यायालयों/न्यायाधिकरणों/प्राधिकरणों और परिणामस्वरूप, 1961 का अधिनियम उस हद तक लागू होता है जब तक यह न्यायालयों/अन्य न्यायालयों/न्यायाधिकरणों/प्राधिकरणों में वकालत करने वाले अधिवक्ताओं पर लागू होता है।

विशेष रूप से गैर-कानूनी मामलों में कानून के पेशे का अभ्यास करने वाले व्यक्ति 1961 के तहत आते हैं या नहीं। ओ. एन. मोहिंद्रू (उपर्युक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अधिनियम पर विचार नहीं किया गया था। इसलिए, उपरोक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादियों के मामले का समर्थन नहीं करता है।

55. भारत संघ के वकील ने तर्क दिया कि यदि यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि 1961 का अधिनियम गैर-कानूनी मामलों में काम करने वाले व्यक्तियों पर लागू होता है, तो कोई भी नौकरशाह अधिवक्ता के रूप में नामांकित हुए बिना गैर-कानूनी मामलों में कोई मसौदा तैयार करने या कोई राय देने में सक्षम नहीं होगा। उपरोक्त में कोई योग्यता नहीं है।

तर्क, क्योंकि, एक नौकरशाह के बीच एक अंतर है

अपने रोजगार के दौरान मसौदा तैयार करना या राय देना और एक कानूनी फर्म या एक अधिवक्ता पेशेवर आधार पर ग्राहकों को मसौदा तैयार करना या राय देना। इसके अलावा, दस्तावेजों का मसौदा तैयार करने या राय देने वाला नौकरशाह अपने वरिष्ठों के प्रति जवाबदेह होता है, जबकि, एक कानूनी फर्म या गैर-कानूनी मामलों में लगे व्यक्ति, यानी दस्तावेजों का मसौदा तैयार करना/राय देना या कोई अन्य कानूनी सहायता प्रदान करना, किसी के प्रति जवाबदेह नहीं। इस तरह की विसंगति से बचने के लिए, 1961 अधिनियम लागू किया गया है ताकि सभी व्यक्तियों को शामिल किया जा सके

कानून का पेशा चाहे वह 1961 के अधिनियम के दायरे में आने वाले मुकदमेबाजी के मामलों में हो या गैर-मुकदमेबाजी के मामलों में।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया v. ए. के. बालाजी और ओ. आर. एस. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

56. यह तर्क कि 1961 के अधिनियम और उसके तहत गठित बार काउंसिलों की भूमिका सीमित है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बार-बार नकार दिया गया है। हाल ही में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम के मामले में सर्वोच्च न्यायालय। प्रबंधन बोर्ड, दयानंद कॉलेज ऑफ लॉ ने एम. ए. एन. यू./एस. सी./5219/2006 में बताया: (2007) 2 एस. सी. सी. 202 इस प्रकार आयोजित किया गया:

यह कहना सही नहीं हो सकता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कानूनी शिक्षा से पूरी तरह से बेपरवाह है।

मुख्य रूप से कानूनी शिक्षा विश्वविद्यालयों के प्रांत के भीतर भी हो सकती है। लेकिन, शीर्ष पेशेवर निकाय के रूप में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मानकों से संबंधित है

उन लोगों का कानूनी पेशा और उपकरण जो उस पेशे में प्रवेश करना चाहते हैं। इस प्रकार बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी देश में कानूनी शिक्षा से संबंधित है।

इसलिए, स्थिति को लटकता हुआ देखने के बजाय, राज्य सरकार और सिफारिश करने वाले प्राधिकरण से यह सुनिश्चित करने की उम्मीद की जाती है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित आवश्यकता का भी पालन किया जाए।

इस प्रकार, जब यह देखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि इस तेजी से बदलती दुनिया में कानूनी पेशा लंबा खड़ा हो, तो यह मानना अनुचित होगा कि 1961 का अधिनियम और बार काउंसिल

वहाँ के तहत गठित क्षेत्र में खेलने के लिए सीमित भूमिका है

कानून के पेशे का अभ्यास करने से संबंधित।

57. यह विवाद में नहीं है कि एक बार जब कोई व्यक्ति अधिवक्ता के रूप में नामांकित हो जाता है, तो वह मुकदमेबाजी के मामलों के साथ-साथ गैर-मुकदमेबाजी के मामलों में कानून के पेशे का अभ्यास करने का हकदार है। यदि प्रत्यर्थियों का यह तर्क कि 1961 का अधिनियम मुकदमेबाजी के मामलों में कानून के पेशे का अभ्यास करने वाले व्यक्तियों तक ही सीमित है, स्वीकार किया जाता है, तो गैर-मुकदमेबाजी के मामलों में अभ्यास करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करने में कदाचार का दोषी पाए जाने वाले अधिवक्ता को 1961 के अधिनियम के तहत दंडित नहीं किया जा सकता है। इसी तरह, जहां एक अधिवक्ता जिसे पेशेवर कदाचार के लिए प्रतिबंधित किया गया है, वह इस आधार पर गैर-कानूनी मामलों में अभ्यास कर सकता है कि 1961 का अधिनियम गैर-कानूनी मामलों में कानून के पेशे का अभ्यास करने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है। ऐसा तर्क जो 1961 के अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर देता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

58. यह ध्यान दिया जा सकता है कि 1961 के अधिनियम की धारा 49 (1) (ए. एच.) के तहत बनाए गए भारतीय बार काउंसिल नियमों के अध्याय III भाग VI में नियम 6 (1) में प्रावधान है कि एक अधिवक्ता जिसका नाम उच्चतम न्यायालय के आदेश से हटा दिया गया है या

उच्च न्यायालय या बार काउंसिल, जैसा भी मामला हो, 1961 के अधिनियम की धारा 30 के तहत उल्लिखित न्यायालय और अधिकारियों के समक्ष या कक्षों में या अन्यथा कानून के पेशे का अभ्यास करने का हकदार नहीं होगा। उपरोक्त नियम स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कक्ष अभ्यास करता है, अर्थात्, गैर-मुकदमेबाजी में अभ्यास करता है।

मामले भी 1961 के अधिनियम के दायरे में हैं। 59. भारत संघ के वकील ने तर्क दिया था कि

केंद्र सरकार भारत में कानून के पेशे का अभ्यास करने वाली विदेशी कानूनी फर्मों से संबंधित मुद्दे पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। चूंकि उक्त मुद्दा केंद्र सरकार के समक्ष 15 वर्षों से अधिक समय से लंबित है, इसलिए हम केंद्र सरकार को इस मामले में जल्द से जल्द उचित निर्णय लेने का निर्देश देते हैं। तब तक, जैसा कि अधिनियमित किया गया था, 1961 का अधिनियम प्रबल होगा, अर्थात, कानून के पेशे का अभ्यास करने वाले व्यक्ति, चाहे वे मुकदमेबाजी के मामलों में हों या गैर-मुकदमेबाजी के मामलों में, 1961 के अधिनियम और उसके तहत बनाई गई बार काउंसिलों द्वारा शासित होंगे, इसके अलावा न्यायालय की शक्तियों के अनुसार:

पाए जाने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ उचित कार्रवाई करें

पेशेवर दुर्व्यवहार का दोषी।

60. उपरोक्त सभी कारणों से, हम मानते हैं कि

वर्तमान मामले में, आर. बी. आई. को मंजूरी देना उचित नहीं था।

विदेशी विधि फर्मों को 1973 के अधिनियम की धारा 29 के तहत भारत में संपर्क कार्यालय खोलने की अनुमति। हम आगे यह मानते हैं कि 1961 के अधिनियम की धारा 29 में 'कानून के पेशे' का अभ्यास करने के लिए अभिव्यक्तियाँ व्यक्तियों को शामिल करने के लिए पर्याप्त हैं।

मुकदमेबाजी के मामलों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ-साथ गैर-मुकदमेबाजी के मामलों में कार्य करने वाले व्यक्तियों और इसलिए, भारत में गैर-मुकदमेबाजी के मामलों में कार्य करने के लिए, प्रतिवादी संख्या। 12 14 तक 1961 के अधिनियम में निहित प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य थे। याचिका

लागत के रूप में बिना किसी आदेश के तदनुसार निपटान किया जाता है।

मद्रास उच्च न्यायालय उपरोक्त दृष्टिकोण से निम्नलिखित रूप में सहमत था:

" 44. जैसा कि ऊपर देखा गया है, बॉम्बे के समक्ष मामले के तथ्य

उच्च न्यायालय ने कहा कि जो प्रतिवादी अमेरिका/ब्रिटेन में कानून के पेशे का अभ्यास करने वाली विदेशी कानूनी फर्में थीं, उन्होंने भारत की बार परिषद बनाम की मांग की।

ए. के. बालाजी और ओ. आर. एस. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

भारत में अपना संपर्क कार्यालय खोलने और प्रदान करने की अनुमति

सभी मुकदमेबाजी और गैर मुकदमेबाजी मामलों में किसी अन्य व्यक्ति को कानूनी सहायता। इसलिए बंबई उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा कि भारत में संपर्क कार्यालय की स्थापना विदेशी अधिकारियों द्वारा की जाती है। कानूनी फर्म और सभी रूपों में संपर्क गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि ऐसी गतिविधियाँ अधिवक्ता अधिनियम और बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियमों के प्रावधानों के खिलाफ हैं। हम बंबई उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से अलग नहीं हैं

इस पहलू पर।

18. मद्रास उच्च न्यायालय ने उपरोक्त अवलोकन के बाद इस मामले पर निम्नलिखित रूप में विचार किया:

" 45. हालाँकि, इस न्यायालय के समक्ष जो मुद्दा विचार के लिए आता है, वह यह है कि क्या कोई विदेशी कानूनी फर्म, भारत में कोई संपर्क कार्यालय स्थापित किए बिना, पेशकश करने के उद्देश्य से भारत का दौरा करती है।

विदेशी कानून पर भारत में उनके मुवक्किलों को कानूनी सलाह, अधिवक्ता अधिनियम के प्रावधानों के तहत निषिद्ध है। दूसरे शब्दों में, यहाँ सवाल यह है कि क्या विदेशी कानून पर अपने मुवक्किल को सलाह देने के लिए अस्थायी अवधि के लिए भारत आने वाले विदेशी वकील को अधिवक्ता अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता है। इस मुद्दे को न तो उठाया गया था और न ही बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा इसका उत्तर दिया गया था।

फैसला "।

यह आयोजित किया गया था: " 51. हम विदेशी विधि फर्मों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा किए गए निवेदन में बल पाते हैं कि यदि विदेशी विधि फर्मों को बातचीत में भाग लेने, दस्तावेजों को निपटाने और भारत में मध्यस्थता करने की अनुमति नहीं है, तो यह

के उद्देश्य पर एक विरोधी उत्पादक प्रभाव पड़ेगा

सरकार भारत को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का केंद्र बनाएगी।

विद्वान वकील के अनुसार, कई मध्यस्थताएँ भारतीय न्यायाधीशों और वकीलों को मध्यस्थ के रूप में भारत के बाहर रखा जाता है, जहां विदेशी और भारतीय दोनों कानूनी फर्म अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं। यदि विदेशी कानूनी फर्मों को भारत में मध्यस्थता से निपटने के लिए प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है, तो भारत कई मामलों को खो देगा।

विदेशों में मध्यस्थता। यह सरकार की घोषित नीति के विपरीत और राष्ट्रीय नीति के खिलाफ होगा।

ब्याज। कुछ कंपनियाँ चल रही हैं

बौद्धिक, व्यवसाय और औद्योगिक [2018] 3 एस. सी. आर. के संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में परामर्श/सहायता सेवाएँ।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्वामित्व अधिकार, बाजार सर्वेक्षण और बाजार अनुसंधान करना और बिना रिपोर्ट, पत्रिकाओं आदि का प्रकाशन।

के रूप में सलाह सहित कोई भी कानूनी सेवा प्रदान करना

राय, लेकिन वे भारत में कहीं भी किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं। इस तरह की गतिविधियों को भारत में कानून का अभ्यास नहीं माना जा सकता है। यह विवादित नहीं है कि इंग्लैंड में विदेशी वकील अपनी विधि प्रणाली या अंग्रेजी कानून या किसी अन्य विधि प्रणाली पर बिना किसी राष्ट्रीयता की आवश्यकता या योग्य होने की आवश्यकता के सलाह देने के लिए स्वतंत्र हैं।

इंग्लैंड में।

52. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम को लागू करने से पहले,

1996 भारत के विधि आयोग, कई प्रतिनिधि

व्यापार और उद्योग निकायों और के क्षेत्र में विशेषज्ञों

मध्यस्थता ने अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव दिया है ताकि इसे समकालीन आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाया जा सके। यह भी माना गया कि भारत में आर्थिक सुधार पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो सकते हैं यदि दोनों के समाधान से संबंधित कानून घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवाद अभी भी बने हुए हैं।

इस तरह के सुधारों के अनुरूप। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (UNCITRAL) 1985 में अपनाया गया

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर आदर्श कानून। इसलिए, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम को समेकित किया जाता है और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से संबंधित कानून के साथ-साथ इसके प्रवर्तन के लिए संशोधित किया जाता है

विदेशी मध्यस्थता पुरस्कार। इस अधिनियम को अंतर्राष्ट्रीय संधियों और सम्मेलनों के तहत भारत के दायित्वों को पूरा करने के उपाय के रूप में अधिनियमित किया गया था। में वृद्धि के कारण

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य और इसके कारण भी

अदालतों में मुकदमों और अपीलों के निपटारे में होने वाली लंबी देरी, मध्यस्थों के वैकल्पिक मंच के माध्यम से विवादों के समाधान की दिशा में जबरदस्त आंदोलन हुआ है।

53. अधिनियम की धारा 2 (1) (च) "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता" शब्द को निम्नानुसार परिभाषित करती है:

(च) अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता का अर्थ है -

कानूनी संबंधों से उत्पन्न होने वाले विवादों से संबंधित मध्यस्थता, चाहे संविदात्मक हो या नहीं, जिसे भारत में लागू कानून के तहत वाणिज्यिक माना जाता है और जहां

कम से कम एक पक्ष भारत की बार परिषद v है।

ए. के. बालाजी और ओ. आर. एस. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

((i) एक व्यक्ति जो राष्ट्रीय है, या आदतन निवासी है।

भारत के अलावा किसी अन्य देश में; या

((ii) एक निगमित निकाय जो किसी भी देश में निगमित है।

भारत के अलावा; या

((iii) एक कंपनी या एक संघ या व्यक्तियों का एक निकाय।

जिसका केंद्रीय प्रबंधन और नियंत्रण भारत के अलावा किसी अन्य देश में किया जाता है; या

((iv) किसी विदेशी देश की सरकार।

54. उपरोक्त परिभाषा से, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि

समझौते को "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक" कहा जाएगा। मध्यस्थता "यदि मामला विवादों से संबंधित है, जो हो सकता है

या संविदात्मक नहीं हो सकता है, लेकिन जहां कम से कम एक पक्ष आदतन विदेश में रहता है, चाहे वह उस देश का नागरिक हो। या नहीं। न्यूयॉर्क कन्वेंशन एक मध्यस्थता समझौते पर लागू होगा यदि इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य से जुड़ा कोई विदेशी तत्व या स्वाद है, भले ही इस तरह के समझौते से विदेशी पुरस्कार नहीं मिलता है।

55. भारत और दुनिया भर के लगभग सभी देशों में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। भारत विश्व व्यापार समझौते का हस्ताक्षरकर्ता है, जिसने कई अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए द्वार खोल दिए हैं।

दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आकर भारत में अपने-अपने व्यवसाय स्थापित करें।

56. बड़ी संख्या में भारतीय कंपनियां विलय, अधिग्रहण या प्रत्यक्ष निवेश के माध्यम से विदेशी गंतव्यों तक पहुंच रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2009 के दौरान जारी आंकड़ों के अनुसार, बैंकों द्वारा किए गए कुल विदेशी निवेश को छोड़कर भारत का कुल विदेशी निवेश आई. डी. 1 से बढ़कर आई. डी. 2 में यू. एस. डॉलर 1.74 करोड़ हो गया था और भारत वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में तीसरे स्थान पर है। संयुक्त उद्यमों और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में विदेशी निवेश को भारतीय उद्यमियों द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करने के मामले में महत्वपूर्ण अवसरों के रूप में मान्यता दी गई है।

लाभांश, निष्ठा आदि। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा, दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

संसार। विभिन्न आर्थिक सुधारों ने (2018) 3 एस. सी. आर. बनाए हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत एशिया-प्रशांत क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है और भारतीय निजी क्षेत्र ने विदेशी निवेश के लिए काफी गुंजाइश प्रदान की है प्रत्यक्ष निवेश, संयुक्त उद्यम और सहयोग। निस्संदेह, ये सीमा पार लेनदेन और निवेश कानून के सदस्यों के लिए बड़े अवसर प्रदान करेंगे।

बंधुत्व, ताकि चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को बेहतर तरीके से तैयार किया जा सके। यह आम जानकारी है कि हाल के दिनों में, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता का संचालन करने वाले पक्ष

भारत को अपने गंतव्य के रूप में चुना है। भारत में मध्यस्थता कानून यू. एन. सी. आई. टी. आर. ए. एल. मॉडल लॉ ऑफ आर्बिट्रेशन की तर्ज पर बनाया गया है और इससे कुछ विचलन होते हैं -

उसमें निहित सिद्धांत। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता का प्रावधान करता है जहां कम से कम एक पक्ष भारत में निगमित भारतीय राष्ट्रीय या निकाय निगम या विदेशी निकाय नहीं है।

सरकार।

57. संस्थागत मध्यस्थता को परिभाषित किया गया है

संस्था के नियमों के अनुसार एक मध्यस्थ संस्था द्वारा संचालित मध्यस्थता। भारतीय मध्यस्थता परिषद ऐसा ही एक निकाय है। यह बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के कई मामलों में, विदेशी

अनुबंधित पक्ष भारत में मध्यस्थता करना पसंद करता है और कई

भारत को सीट के रूप में चुनने के कारण बताए गए हैं

मध्यस्थता। इसलिए, जब आर्थिक नीतियों का उदारीकरण होता है, विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खुले होते हैं, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में विवाद और मतभेद उत्पन्न होना तय है। जब एक

संविदाकारी पक्ष एक विदेशी संस्था है और पक्षों के बीच एक बाध्यकारी मध्यस्थता समझौता होता है और भारत को मध्यस्थता के स्थान के रूप में चुना जाता है, यह स्वाभाविक है कि विदेशी संविदाकारी पक्ष अपनी सहायता लेगा।

उक्त अनुबंध पर अपने देश के कानूनों के प्रभाव पर उन्हें सलाह देने के लिए वकील या वकील, और वे मध्यस्थता के उद्देश्य से भारत आने के लिए अपने मुवक्किलों के साथ जा सकते हैं। इसलिए, यदि एक अंतरराष्ट्रीय विज्ञापन के लिए एक पक्ष मध्यस्थता एक विदेशी वकील को संलग्न करती है और यदि ऐसे वकील विदेशी कानून पर अपने मुवक्किलों को सलाह देने के लिए भारत आते हैं, तो हम देखते हैं कि ऐसे विदेशी वकीलों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता है।

भारत की बार परिषद v के दौरान भारत में विदेशी कानून पर अपने ग्राहकों को सलाह दें।

ए. के. बालाजी और ओ. आर. एस. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक लेन-देन या एक अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन

वाणिज्यिक मध्यस्थता या उसके समान मामले। इसलिए,

इस प्रस्ताव की वकालत करना कि विदेशी वकील या विदेशी कानूनी फर्म अपने मुवक्किलों को विदेशी कानून पर सलाह देने के लिए भारत नहीं आ सकते हैं, एक दूरगामी और खतरनाक प्रस्ताव होगा और

वाणिज्यिक मध्यस्थता। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और 1996 के अधिनियम का समर्थन करने के लिए एक व्यापक और प्रगतिशील कानूनी ढांचा है, जो मध्यस्थता के अधिकतम न्यायिक समर्थन और न्यूनतम का प्रावधान करता है। हस्तक्षेप। इसके अलावा, यह सभी मामलों में नहीं है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता का संचालन करने वाली एक विदेशी कंपनी अपने विदेशी वकीलों की सहायता मांगेगी।

भारत में उपलब्ध कानूनी विशेषज्ञता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है और ऐसी विदेशी कंपनियां भारतीय वकीलों की सेवाओं का लाभ उठाने में संकोच नहीं करेंगी। इसलिए, भारत को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के लिए एक पसंदीदा स्थान बनाने की आवश्यकता से देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। 58. वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स बी. वी. बनाम

अपनाया है कि जिन ग्राहकों का वे प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके भारत में कार्यालय नहीं हैं, वे सलाह नहीं देते हैं

भारतीय कानून से संबंधित मामलों पर उनके विदेशी मुवक्किल, लेकिन वे भारत में उड़ान भरते हैं और केवल सलाह देने और हाथ पकड़ने के लिए उड़ान भरते हैं

विदेशी कानूनों पर उनके ग्राहक। विदेशी विधि फर्म, जो इस रिट याचिका में निजी उत्तरदाता हैं, ने इस कानूनी स्थिति को स्वीकार किया है कि "अभ्यास" शब्द में मुकदमेबाजी के साथ-साथ गैर-मुकदमेबाजी कार्य दोनों शामिल होंगे, जो बेहतर ज्ञात है [2018] 3 एस. सी. आर.

कक्ष अभ्यास के रूप में। इसलिए, एक ग्राहक को सलाह देना भी "अभ्यास" शब्द में शामिल होगा।

अधिनियम, 1926, नियत तिथि से तुरंत पहले और (ख) अन्य सभी व्यक्तियों को, जिन्हें नियत तिथि को या उसके बाद अधिनियम के तहत राज्य बार काउंसिल की सूची में अधिवक्ता के रूप में भर्ती किया गया था। में। अधिनियम की धारा 24 (1) की शर्तें, अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन, एक व्यक्ति होगा

यदि वह शर्तों को पूरा करता है (ए) भारत का नागरिक, (बी) 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और (सी) कानून में डिग्री प्राप्त कर चुका है, तो वह राज्य सूची में एक वकील के रूप में भर्ती होने के लिए योग्य है। धारा 24 (1) (ए) के परंतुक में कहा गया है कि अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, किसी अन्य देश के नागरिक को राज्य सूची में अधिवक्ता के रूप में भर्ती किया जा सकता है, यदि भारत के किसी नागरिक को, विधिवत रूप से योग्य, उस अन्य देश में कानून का अभ्यास करने की अनुमति है। में।

अधिनियम की धारा 47 (1) की शर्तें, जहां केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कोई भी देश नागरिकों को प्रतिबंधित करता है। भारत का कानून के पेशे का अभ्यास करना या उन्हें उस देश में अनुचित भेदभाव के अधीन करना, ऐसा कोई विषय नहीं है

देश भारत में विधि के पेशे का अभ्यास करने का हकदार होगा। धारा 47 की उप-धारा (2) के संदर्भ में, उप-धारा (1) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसी शर्तें, यदि कोई हों, निर्धारित कर सकती है, जिनके अधीन भारत के नागरिकों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा प्राप्त कानूनी विदेशी योग्यताओं को प्रवेश के उद्देश्य से मान्यता दी जाएगी:

अधिनियम के तहत एक अधिवक्ता। इस प्रकार, धारा 47 से संबंधित है -

पारस्परिकता। अधिवक्ता अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अनुसार, यह भारतीय कानून के व्यवसायी के रूप में नामांकन के लिए आवश्यक शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यताओं को निर्दिष्ट करते हुए कानूनी व्यवसायियों के एक वर्ग को प्रदान करने के लिए अधिनियमित एक कानून था, और केवल किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री वाले भारतीय नागरिक ही अधिवक्ता के रूप में नामांकन कर सकते थे

अधिनियम के तहत। अपवाद भारत की बार परिषद v के प्रावधान के तहत प्रदान किए गए हैं।

ए. के. बालाजी और ओ. आर. एस. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

धारा 24 (1) (ए), धारा 24 (1) (सी) (iv) और धारा 47 (2)। अधिनियम की योजना के आलोक में, यदि एक विदेशी वकील कानूनी फर्म अपने मुवक्किल को उस कानून से संबंधित मामलों पर सलाह देने के लिए भारत का दौरा करती है जो उनके देश पर लागू होता है, जिसके लिए

यदि वह भारत से "उड़ान भरता है और उड़ान भरता है", तो ऐसी विदेशी विधि फर्म/विदेशी द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवाओं के लिए कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता है।

वकील।

60. हम ऐसा करने के लिए राजी हैं, क्योंकि ऐसे कई लेन-देन हो सकते हैं जिनमें एक भारतीय कंपनी या एक व्यक्ति

भारतीय मूल के लोग किसी विदेशी कंपनी के साथ लेन-देन कर सकते हैं और इस तरह के लेन-देन पर लागू कानून उक्त विदेशी देश के कानून हैं। किस उद्देश्य के लिए उक्त लेन-देन पर विदेशी कानून लागू किया जाएगा, इस बारे में कानूनी सलाह लेने की आवश्यकता हो सकती है।

यदि किसी विदेशी विधि फर्म के वकील को भारत में उड़ान भरने और अपने मुवक्किल को विदेशी कानून पर सलाह देने की अनुमति दी जाती है, तो इसे निषिद्ध नहीं कहा जा सकता है। परिणाम यह होगा कि ऐसी विदेशी विधि फर्म प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय कानून के किसी भी रूप में अभ्यास करने की हकदार नहीं होगी। इसमें निजी उत्तरदाताओं, अर्थात् विदेशी विधि फर्मों ने स्वीकार किया है कि किसी विदेशी वकील या विदेशी विधि फर्म के लिए भारतीय कानून का अभ्यास करने के लिए स्पष्ट निषेध है। यह इंगित किया गया है कि यदि भारत के भीतर किसी विदेशी विधि फर्म द्वारा विदेशी कानून के अभ्यास को प्रतिबंधित करने के लिए कोई व्याख्या दी जाती है, तो इसके परिणामस्वरूप

स्पष्ट रूप से बेतुकी स्थिति जिसमें केवल भारतीय कानून की डिग्री वाले भारतीय नागरिक जो अधिवक्ता अधिनियम के तहत एक वकील के रूप में नामांकित हैं, वे विदेशी कानून का अभ्यास कर सकते हैं, जब तथ्य यह है कि भारतीय कानून स्कूलों में स्नातक स्तर पर विदेशी कानून नहीं पढ़ाए जाते हैं, सिवाय स्नातकोत्तर स्तर पर तुलनात्मक कानून डिग्री पाठ्यक्रमों के।

61. जैसा कि ऊपर देखा गया है, भारत सरकार ने अपने

19.08.2010 दिनांकित जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया तर्क है कि विदेशी कानूनी फर्म समझौता वार्ता में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए,

दस्तावेजों और मध्यस्थताओं का निपटान प्रतिकूल होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता एक ही देश तक सीमित होगी। यह आगे बताया गया है कि भारतीय न्यायाधीशों और वकीलों के साथ [2018] 3 एस. सी. आर. के रूप में भारत के बाहर कई मध्यस्थता आयोजित किए जाते हैं।

मध्यस्थ जहाँ विदेशी और भारतीय दोनों कानूनी फर्म अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं। यह आगे कहा गया है कि यदि विदेशी कानूनी फर्म

भारत में मध्यस्थता से निपटने की अनुमति से इनकार कर दिया जाता है, तो हम अन्य देशों के लिए कई मध्यस्थता खो देंगे और यह सरकार की घोषित नीति के विपरीत है और करेंगे। राष्ट्रीय हित के खिलाफ होना, विशेष रूप से जब

सरकार चाहती है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बने

62. इस मोड़ पर, भारत सरकार द्वारा अपने काउंटर में की गई एक और प्रस्तुति पर ध्यान देना आवश्यक है। यह कहा गया है कि कानूनी फर्मों को इस तरह या आवश्यक नहीं है स्वयं को पंजीकृत करें या गैर-मुकदमेबाजी अभ्यास में संलग्न होने के लिए अनुमति की आवश्यकता है और यह कि भारतीय कानूनी फर्म कहीं और हैं

बिना किसी प्रतिबंध के एक स्वतंत्र वातावरण में काम करना या

नियम। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसी कानूनी फर्मों की गैर-मुकदमेबाजी गतिविधियों पर बार काउंसिल की निगरानी अब तक लगभग शून्य थी, और इस अंतराल का फायदा उठाते हुए, कई लेखा और प्रबंधन फर्म कानून स्नातकों को नियुक्त कर रहे हैं, जो कानूनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जो इसके विपरीत है।

जैसा कि जवाबी हलफनामे में व्यक्त किया गया है, भारत सरकार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा संबोधित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, यह देखा गया है कि सरकार ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से एल. पी. ओ. की गतिविधियों की प्रकृति के बारे में एक अध्ययन शुरू करने का प्रस्ताव रखा है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से एक उचित निर्णय लिया जाएगा। झगड़ालू सामग्री

20. बार काउंसिल ऑफ इंडिया के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सी. यू. सिंह ने कहा कि अधिवक्ताओं ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में दाखिला लिया है।

भारत में कानून का अभ्यास करने के हकदार व्यक्तियों का एकमात्र मान्यता प्राप्त वर्ग है। जब तक कोई अन्य कानून इसकी अनुमति नहीं देता है, तब तक कोई भी व्यक्ति इसके तहत नामांकित अधिवक्ता के अलावा किसी भी 'न्यायालय, प्राधिकरण या व्यक्ति' के समक्ष वकालत नहीं कर सकता है।

एक्ट करें। विशेष मामलों में, 'न्यायालय, प्राधिकरण या व्यक्ति' अधिनियम के तहत नामांकित अधिवक्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित होने की अनुमति दे सकता है। यह प्रस्तुत किया गया था कि "कानून का अभ्यास पेशा" अभिव्यक्ति में न केवल न्यायालय के समक्ष उपस्थिति शामिल है, बल्कि राय कार्य भी शामिल है जिसे कक्ष अभ्यास के रूप में भी जाना जाता है। बार

काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित नैतिकता में न केवल कोर्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के समक्ष उपस्थित होने में आचरण शामिल था।

ए. के. बालाजी और ओ. आर. एस. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

या प्राधिकरण लेकिन कानूनी देने सहित ग्राहकों के साथ व्यवहार करने में भी

राय, मसौदा तैयार करना या विधि सम्मेलन में भाग लेना। यदि कोई व्यक्ति किसी भी 'न्यायालय, प्राधिकरण या व्यक्ति' के समक्ष अवैध रूप से कार्य करता है, तो उसे छह महीने तक के कारावास की सजा हो सकती है। इस प्रकार, लिया गया दृष्टिकोण मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा यह कि विदेशी कानून पर सलाह देने या अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में मध्यस्थता करने के लिए एक विदेशी वकील द्वारा उड़ान भरने और उड़ान भरने के आधार पर यात्रा करना गलत था। अधिनियम की धारा 2 (ए) के तहत 'अधिवक्ता' शब्द की परिभाषा का भी संदर्भ दिया गया है। धारा 6 बार काउंसिल के कार्यों को निर्धारित करती है जिसमें व्यक्तियों को अधिवक्ताओं के रूप में प्रवेश, अधिकारों, विशेषाधिकारों और अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा करना शामिल है। धारा 17 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य बार काउंसिल अधिवक्ताओं की एक सूची तैयार करेगी और किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक राज्य बार काउंसिल में नामांकित नहीं किया जा सकता है। धारा 24 राज्य बार काउंसिल की सूची में प्रवेश के लिए योग्यता निर्धारित करती है। योग्यताओं में भारत की नागरिकता शामिल है, जब तक कि कोई व्यक्ति उस देश का नागरिक न हो जहां भारत के नागरिकों को अभ्यास करने की अनुमति है। भारत से या भारत से बाहर निर्धारित योग्यता होनी आवश्यक है यदि ऐसी डिग्री है

बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त, 31 दिसंबर, 1976 से पहले बार में बुलाए गए बैरिस्टर होने के नाते, बॉम्बे या कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट स्पष्ट क्लर्क परीक्षा या किसी अन्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना या बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त विदेशी योग्यता प्राप्त करना भी निर्धारित योग्यताएं हैं। यह प्रस्तुत किया गया था कि अन्य क्षेत्राधिकारों में भी, संबंधित के साथ नामांकित व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्ति बार काउंसिल को अभ्यास करने की अनुमति नहीं है। यहां तक कि कानूनी सेवा का अल्पकालिक संचालन भी नियामक व्यवस्था के अधीन है।

21. विदेशी कानूनी फर्मों एस/श्री अरविंद दातार, सज्जन पूवय्या, दुष्यंत दवे, विद्वान वरिष्ठ वकील और श्री नकुल के लिए विद्वान वकील

विद्वान वकील दीवान ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस निर्देश का समर्थन किया जिसमें विदेशी वकीलों को उड़ान भरने और उड़ान भरने के आधार पर और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के संदर्भ में भी कानूनी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि बार काउंसिल केवल इसके साथ नामांकित अधिवक्ताओं के संबंध में ही सामने आ सकती है। यह केवल अदालतों या अन्य प्राधिकरणों या व्यक्तियों के समक्ष उपस्थिति के संदर्भ में है कि बार काउंसिल की नियामक व्यवस्था लागू हो सकती है, लेकिन गैर-मुकदमेबाजी/सलाहकार कार्य के संबंध में उन लोगों को भी प्रतिबंधित नहीं किया जाता है जो अधिवक्ता अधिनियम के तहत अधिवक्ताओं के रूप में नामांकित नहीं हैं। श्री दीवान द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया कि अधिवक्ता अधिनियम केवल व्यक्तियों पर लागू होता है न कि कानूनी फर्मों पर। पारस्परिकता का प्रावधान केवल अधिवक्ता अधिनियम के तहत नामांकन के लिए लागू होता है और उड़ान भरने और उड़ान भरने के आधार पर या [2018] 3 एस. सी. आर. में आकस्मिक कानूनी सेवाओं के लिए नहीं।

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के साथ संबंध। विदेशी वकील

उनके लिए लागू अनुशासनात्मक व्यवस्था द्वारा विनियमित हैं और केवल उनकी बार काउंसिल भारत में भी उनके काम करने के संबंध में कार्रवाई कर सकती हैं। भारत में कानून के अभ्यास में विदेशी कानून पर सलाह देना शामिल नहीं था।

इस प्रकार, यदि एक पूर्व निर्धारित निमंत्रण द्वारा, एक विदेशी वकील एक विदेशी कानून पर सलाह देने के लिए भारत आया, तो ऐसा करने के खिलाफ कोई रोक नहीं है। 22. बार में कुछ निर्णयों का उल्लेख किया गया है जिनका संदर्भ दिया जा सकता है। रोल बनाम न्यूयॉर्क काउंटी लॉयर्स एसोसिएशन 3 में,

न्यूयॉर्क राज्य के अपील न्यायालय ने एक ऐसे मामले पर विचार किया जिसमें एक मैक्सिकन नागरिक और वकील, जो संयुक्त राज्य का नागरिक नहीं था और न ही न्यूयॉर्क बार का सदस्य था, ने न्यूयॉर्क में अपना कार्यालय बनाए रखा और जनता के सदस्यों को मैक्सिकन कानून पर सलाह दी। उन्होंने न्यूयॉर्क के कानून के बारे में कोई सलाह नहीं दी। बहुमत का मानना था कि यह नहीं था अनुमति है। यह देखा गया:

" एक मैक्सिकन वकील को एक मैक्सिकन अदालत में न्यूयॉर्क निवासी के लिए तलाक की कार्यवाही की व्यवस्था करने की अनुमति देना, उसे मुवक्किल को यह बताने की अनुमति दिए बिना कि तलाक अमान्य हो सकता है (क्यूर्ज़ वी। क्वेर्ज़, 290 एन. वाई. 13) या यह कि यह इस राज्य में संपत्ति या अन्य संपत्ति अधिकारों या स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है (राथशेक का मामला, 300 एन. वाई. 346), उसे पूरी तरह से अपर्याप्त सुरक्षा देना है (70 हार्व देखें। L.Rev। 1112

1113) . न ही हम किसी भी तरह से एसोसिएशन ऑफ द बार के संक्षिप्त तर्क से आश्वस्त हैं कि कोई है

तलाक के मामलों में जनता को कार्य करने और सलाह देने के लिए एक मैक्सिकन वकील के अधिकार और आम तौर पर सम्मान के साथ एक सलाह कार्य करने के लिए विदेशी वकीलों के अधिकार (3 N.Y.2d 232) के बीच अंतर

विदेशी कानून।

यहाँ विदेशी वकीलों की गतिविधियों से उत्पन्न जटिल समस्या लंबे समय से चली आ रही है। यह अच्छी तरह से हो सकता है कि विदेशी वकीलों को ग्राहकों के साथ व्यवहार करने के लिए लाइसेंस दिया जाना चाहिए।

विशेष रूप से विदेशी कानून से संबंधित मामले, लेकिन वे पूरी तरह से विधानमंडल के प्रांत के भीतर हैं। हमारी अदालतों को हमारे राज्य के बार में भर्ती वकीलों पर बहुत अधिक नियंत्रण दिया जाता है; हालाँकि, विदेशी कानून विशेषज्ञ होने का दावा करने वालों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है।

हम अपीलार्थी के दावे में कोई सार नहीं देखते हैं कि दंड विधि की धारा 270 जब उस पर लागू होती है तो उसे स्वतंत्रता से वंचित करती है।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया v. ए. के. बालाजी और ओ. आर. एस. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

और कानून की उचित प्रक्रिया के बिना संपत्ति, जिसमें कानून के रूप में

इस तरह से समझा जाना अनुचित है और किसी सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है।

99

दूसरी ओर, अल्पसंख्यक दृष्टिकोण का मानना था कि:

" इस शताब्दी में जब संयुक्त राज्य अमेरिका बन गया है

विश्व का लेनदार राष्ट्र और जब इसके प्रभाव हमारा औद्योगिक, वाणिज्यिक, वित्तीय और मनोरंजक जीवन

दुनिया के हर कोने तक फैला हुआ, यह विशेष रूप से असंभव है

प्रवेश के लिए प्रथागत आवासीय आवश्यकताएँ बार अपने आप में अक्सर उन्हें बनने से रोकता था।

हमारे बार में भर्ती।

अनुज्ञप्ति देने वाले कानूनों को अधिनियमित करने के लिए विधानमंडल की चूक या

विशुद्ध रूप से अभ्यास करने में विदेशी वकीलों के आचरण को विनियमित करना

इस राज्य में विदेशी कानून, यह इंगित नहीं करता है कि ऐसा आचरण

दंड विधि की धारा 270 और 271 द्वारा निषिद्ध है, लेकिन केवल यह कि विधानमंडल ने उन्हें उनके अधीन करने के लिए उचित नहीं देखा है

विनियमन। इस तरह के प्रस्तावित कानून के गुण जो भी हों,

इसे लागू करना हमारा काम नहीं है। अगर विदेशी वकील इसके दायरे में आते हैं

दंड विधि की धारा 270 और 271, यह उनका दमन करेगी

बड़ी और बढ़ती संख्या के नुकसान के लिए गतिविधियाँ हमारे नागरिक जो विदेशों में लेन-देन करते हैं

देशों, क्योंकि यह अधिकांश के लिए असंभव होगा उन्हें इस राज्य में अभ्यास करने के लिए प्रवेश दिया जाए।

24. एपेल बनाम रेनर में, न्यू जर्सी का सर्वोच्च न्यायालय

न्यूयॉर्क के वकील के एक मामले के साथ, जिसे भर्ती नहीं किया गया था जर्सी बार, न्यू जर्सी के निवासियों को कानूनी सेवाएं प्रदान करता है

इसमें ऋण का विस्तार और न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के लेनदारों द्वारा दावों का समझौता शामिल है। चांसरी डिवीजन कि न्यूयॉर्क के वकील न्यू यॉर्क के संबंध में सलाह नहीं दे सकेy लेनदार। न्यू जर्सी के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया किः

" चांसरी डिवीजन ने आम तौर पर सही ढंग से चित्रित किया

नियंत्रण सिद्धांत कि कानूनी सेवाओं को प्रदान किया जाना है

न्यू जर्सी के मामलों से संबंधित न्यू जर्सी के निवासी हो सकते हैं

. जे. 313 (1964) ; 204 ए. 2 डी. 146 [2018] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केवल न्यू जर्सी के वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया। फिर भी हम

पहचानें कि ऐसी असामान्य परिस्थितियाँ हैं जिनमें एक सख्त

इस तरह के शोध प्रबंध का पालन जनहित में नहीं है। इस संबंध में आधुनिक समय में उत्पन्न होने वाले कई बहु-राज्य लेनदेनों को मान्यता दी जानी चाहिए। यह विशेष रूप से हमारे राज्य के बारे में सच है, क्योंकि यह देश के वित्तीय और विनिर्माण केंद्र के बीच में स्थित है। एक अपरिवर्तनीय

आम तौर पर नियंत्रित करने वाले सिद्धांत का पालन करना अच्छी तरह से हो सकता है

इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक परिणाम होता है, और यह इस प्रकार है कि ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जो इस तरह के असाधारण व्यवहार को उचित ठहराते हैं जो राज्य लाइनों की अनदेखी की गारंटी देते हैं। यह ऐसी स्थिति है। यहाँ मौजूद विशिष्ट तथ्यों के तहत,

न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी लेनदेन की अविभाज्यता, और न्यूयॉर्क दावे की पर्याप्त प्रकृति, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि न्यू जर्सी में सेवाएं प्रदान करने के लिए वादी का समझौता। यह अवैध और सार्वजनिक नीति के विपरीत नहीं था।

यह याद रखना चाहिए कि हम यहां किसी अदालती कार्यवाही में वादी द्वारा भाग लिए जाने से चिंतित नहीं हैं। क्या है?

प्राप्त करने में सलाह और सहायता प्रदान करना शामिल है

ऋण का विस्तार और ऋण से समझौता।

एक बार फिर, एक असहमतिपूर्ण दृष्टिकोण इस प्रकार था:

" .... जनता और बार के हितों के विनियमन के लिए सामान्य अनुप्रयोग के नियम की आवश्यकता होती है। हमारे यहाँ जैसे मामलों में, एकमात्र निष्पक्ष और व्यवहार्य नियम वह है जो यह मानता है कि ग्राहक का मामला मुख्य रूप से न्यू जर्सी का है और यहां प्रदान की जाने वाली कानूनी सेवाओं के लिए हमारे बार के एक सदस्य की नियुक्ति का आह्वान करता है। और, उस संबंध में, अंतरराज्यीय सौहार्द के हित में, यदि कोई राज्य से बाहर का वकील न्यू जर्सी में कानूनी सेवाएं प्रदान करता है जो नाबालिग या नाबालिग हैं।

कुल समस्या का आनुषंगिक हिस्सा जिसका उसके राज्य में प्रमुख और प्राथमिक पहलू है, उसे ठीक होने दिया जाना चाहिए।

इस अधिकार क्षेत्र में किए गए काम के लिए हमारी अदालतों में।

26. श्री पूवय्या ने भारतीय राशन परिषद के नियमों का उल्लेख किया जो केवल तभी लागू हो सकते हैं जब मध्यस्थों के बीच यह समझौता हो कि मध्यस्थता मध्यस्थता परिषद के नियमों के अनुसार होनी चाहिए। नियम 45 में कहा गया है कि पक्षों के पास भारत की कोई बार परिषद नहीं है।

ए. के. बालाजी और ओ. आर. एस. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का अधिकार जब तक कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण इसे आवश्यक न समझे और अनुमति न दे।

27. मध्यस्थता अधिनियम का उल्लेख करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता को धारा 2 (एफ) के तहत परिभाषित किया गया है जिसमें उन विवादों से संबंधित मध्यस्थता शामिल है जहां एक पक्ष भारत के अलावा किसी अन्य देश का राष्ट्रीय या आदतन निवासी है या एक निकाय कॉर्पोरेट है

भारत के बाहर निगमित या व्यक्तियों के निकाय का एक संघ जिसका प्रबंधन और नियंत्रण भारत के अलावा किसी अन्य देश या किसी विदेशी देश की सरकार में किया जाता है। ऐसे मामलों में, पक्ष सहमत हो सकते हैं -

मध्यस्थता की किसी भी जगह पर मध्यस्थता की कार्यवाही में उपयोग की जाने वाली किसी भी भाषा के लिए किसी भी राष्ट्रीयता का मध्यस्थ होना। धारा 28 (बी) मध्यस्थ न्यायाधिकरण को कानून के नियमों के अनुसार विवादों का फैसला करने की अनुमति देती है। पक्षकारों द्वारा सहमति के अनुसार विवाद के सार पर लागू होता है। मध्यस्थ को पक्षकारों को अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए समान अवसर देना होगा (धारा 18)। पक्ष पालन की जाने वाली प्रक्रिया पर सहमत हो सकते हैं।

(धारा 19)। धारा 34 (2) (ए) (iii) में प्रावधान है कि किसी पुरस्कार को इस आधार पर अलग किया जा सकता है कि पक्षकार मध्यस्थता कार्यवाही में अपना मामला पेश करने में असमर्थ था। मध्यस्थ के समक्ष किसी पक्ष के मामले को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया समझौते या प्रक्रियात्मक नियमों द्वारा शासित हो सकती है।

28. श्री दुष्यंत दवे ने कुछ मध्यस्थता संस्थानों के नियमों का उल्लेख इस आशय से किया कि पक्षकार मध्यस्थ द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के लिए स्वतंत्र हैं। बाहर के वकील। यह प्रस्तुत किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में संधि के माध्यम से, केवल संलग्न होने की कोई मजबूरी नहीं हो सकती है

एक स्थानीय वकील। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 48 (1) (बी) में प्रावधान है कि यदि पक्ष अपना मामला पेश करने में असमर्थ हैं तो विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन से इनकार किया जा सकता है। न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड्स अधिनियम की पहली अनुसूची द्वारा शासित होते हैं। अनुच्छेद-II में पक्षों के बीच मध्यस्थता समझौते को मान्यता देने का प्रावधान है। अनुच्छेद-V (1) (b) में प्रावधान है कि यदि जिस पक्ष के खिलाफ पुरस्कार का आह्वान किया गया था, उसे उचित रूप से नहीं दिया गया था नोटिस दिया या अपना मामला पेश नहीं कर सका, पुरस्कार को लागू नहीं किया जा सकता है। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 53 जिनेवा कन्वेंशन अवार्ड्स को संदर्भित करती है जो अधिनियम की दूसरी अनुसूची द्वारा विनियमित होती है जिसमें समान प्रावधान होते हैं।

29. श्री डेव ने प्रस्तुत किया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश से उत्पन्न विशेष अनुमति याचिका इस सवाल पर है कि क्या लंदन अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय "न्यायालय" [2018] 3 एस. सी. आर. अभिव्यक्ति का उपयोग कर सकता है।

निष्फल हो क्योंकि प्रत्यर्थी ने अपना काम बंद कर दिया था। हालाँकि, उन्होंने निम्नलिखित का उल्लेख किया:

आई. सी. सी. मध्यस्थता की पुस्तिका-टिप्पणी, पूर्वाभास, सामग्री-दूसरा संस्करण (माइकल डब्ल्यू. बुहलर और थॉमस एच. वेबस्टर)

अनुच्छेद 21 (4): पक्ष व्यक्तिगत रूप से या विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं। इसके अलावा, वे हो सकते हैं

सलाहकारों द्वारा सहायता "।

लेखकों की टिप्पणी इस प्रकार है:

" आई. सी. सी. मध्यस्थता में, पक्षों को अपनी पसंद के व्यक्तियों द्वारा प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। तथापि "अधिकृत प्रतिनिधियों" और के बीच अंतर किया जाना चाहिए।

" सलाहकार "। आमतौर पर, पक्षकारों के वकील उनका प्रतिनिधित्व करते हैं

मध्यस्थता में। इस प्रकार, एक वकील के पास दोनों हो सकते हैं

क्षमता, लेकिन यह हमेशा मामला नहीं हो सकता है। एक सलाहकार के रूप में, उसे पावर ऑफ अटॉर्नी की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी ओर, एक पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में, उसे एक आवश्यकता हो सकती है

वकील की शक्ति। मध्यस्थता में। प्रमुख केंद्र

ऐसा प्रतीत होता है कि मध्यस्थता में अन्य देशों के वकीलों के उन देशों में मामलों पर बहस करने के अधिकार पर प्रतिबंध नहीं है, कैलिफोर्निया के संभावित अपवाद के साथ।

फुटनोट 31 इस प्रकार है:

" बीरबोवर, मोंटाबानो, कोंडन और फ्रैंक, पी. सी. बनाम देखें। सांता क्लारा का सुपीरियर कोर्ट, 949 पी. 2 डी 1 (कैल। 1998); होल्ट्ज़मैन और डोनोवन, "यूनाइटेड स्टेट्स कंट्री" भी देखें।

आई. सी. सी. ए. हैंडबुक, सप में "रिपोर्ट" करें। 28 (पॉलसन एडन, 1999)। कैलिफोर्निया रूल्स ऑफ कोर्ट को 2004 में संशोधित किया गया था ताकि किसी भी अमेरिकी योग्य वकील को मध्यस्थता (r.966) में किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जा सके। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या

विदेशी सलाखों में भर्ती वकील पक्षकारों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं

राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता।'

वाणिज्यिक विवादों का मध्यस्थता-अंतर्राष्ट्रीय और

अंग्रेजी कानून और अभ्यास (एंड्रयू ट्वीडडेल और केरेन) ट्वीडडेल)।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया v. ए. के. बालाजी और ओ. आर. एस. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

दलों का प्रतिनिधित्व

10.15 . मुकदमे में कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार सदियों से सामान्य कानून और अंतर्राष्ट्रीय संधियों दोनों में मौजूद है। हालाँकि, कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार निरपेक्ष नहीं है। पक्ष कानूनी प्रतिनिधित्व को समाप्त करने के लिए सहमत हो सकते हैं। इसके अलावा, मध्यस्थता के कुछ नियम कानूनी प्रतिनिधित्व के उपयोग को प्रतिबंधित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थताओं में आम तौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि पक्षकार

अनिवार्य रूप से मध्यस्थता के स्थान पर योग्य व्यक्ति का चयन किए बिना अपने स्वयं के अधिवक्ता का चयन कर सकते हैं। हालांकि, हाल के कुछ मामलों में उस सिद्धांत को चुनौती दी गई है।

7 उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉल लीग के मध्यस्थता नियम कानूनी प्रतिनिधित्व को सीमित करते हैं। 8 उदाहरण के लिए, लॉलर, माटुस्की और स्केली के बीच मध्यस्थता के मामले में, इंजीनियरों और बारबाडोस के अटॉर्नी जनरल (1981 का No.320) 22 अगस्त 1983, जहां बारबाडोस के उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि 'किसी भी उद्देश्य के लिए एक एजेंट नियुक्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य कानूनी अधिकार है'। अदालत ने माना कि इसमें वाणिज्यिक मध्यस्थता में किसी पक्ष की ओर से अधिवक्ता के रूप में उपस्थित होने के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार शामिल है।

9 9 बिल्डर्स फेडरल (हांगकांग) लिमिटेड और जोसेफ गार्टनर एंड कंपनी और टर्नर (ईस्ट एशिया) पीटीई लिमिटेड (1987 का संख्या 90) (1988) 2 एमएलजे 280 के बीच मध्यस्थता के मामले में मलेशियाई न्यायिक आयुक्त चान सेक केयोंग ने फैसला सुनाया कि प्रतिवादी, जो एक विदेशी कंपनी थे, अपने देश से एक वकील का चयन नहीं कर सकते थे क्योंकि सिंगापुर का कानूनी व्यवसाय अधिनियम विदेशी वकीलों के लिए सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में अपने ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करने पर रोक के रूप में काम करता था। हालाँकि, जून 2004 में सिंगापुर ने अंततः सिंगापुर में मध्यस्थता में विदेशी वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व पर इस प्रतिबंध को समाप्त करने के लिए अपने कानूनी व्यवसाय अधिनियम में संशोधन किया। बीरब्रॉवर, मोंटाबानो, कॉन्डन और फ्रैंक बनाम भी देखें। सांता क्लारा काउंटी का सुपीरियर कोर्ट, 1998 कैल लेक्सिस 2,1998 डब्ल्यूएल 1346 (कैल 1/5/98) जहाँ अदालत ने माना कि कैलिफोर्निया के मध्यस्थता में एक मुवक्किल का प्रतिनिधित्व करने वाला न्यूयॉर्क का वकील अपने मुवक्किल के लिए कार्य करने के योग्य नहीं था क्योंकि उसे कैलिफोर्निया के बार में नहीं बुलाया गया था और इसलिए वह अपनी फीस वसूल करने का हकदार नहीं था। हालाँकि, अदालत ने कहा कि यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर लागू नहीं होगा।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रेडफर्न एंड हंटर ऑन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन

" सामान्य तौर पर, दलों का प्रतिनिधित्व इंजीनियरों, या वाणिज्यिक पुरुषों द्वारा भी किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य आगे रखना है

मौखिक प्रस्तुतियाँ, और यहाँ तक कि गवाहों की जाँच के लिए भी। यह असामान्य नहीं है, जहां एक मामले में तकनीकी मुद्दे शामिल हैं,

एक इंजीनियर या अन्य पेशेवर व्यक्ति के लिए सुनवाई में एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं की टीम का हिस्सा होना, हालांकि ऐसे तकनीकी विशेषज्ञों को गवाह के रूप में बुलाना अधिक सामान्य है ताकि उनकी राय और प्रस्तुतियाँ हो सकें।

प्रतिपरीक्षा द्वारा परीक्षण किया जाए। हालाँकि, यह कभी-कभी सुविधाजनक हो सकता है और समय की बचत हो सकती है यदि तकनीकी विशेषज्ञ मध्यस्थता न्यायाधिकरण को सीधे पक्ष के प्रतिनिधियों के रूप में संबोधित करते हैं।

कैलिफोर्निया के सर्वोच्च न्यायालय ने 1998 में निर्णय दिया कि

मध्यस्थता में एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करना जिसमें उसकी सीट नहीं है

कैलिफोर्निया उस राज्य में 'कानून के अभ्यास में संलग्न' था। इसके बाद न्यूयॉर्क का एक वकील, जो कैलिफोर्निया बार का सदस्य नहीं था, कैलिफोर्निया मध्यस्थता में अपने मुवक्किल का प्रतिनिधित्व करने के लिए योग्य नहीं था और इस प्रकार जब उसने इसके लिए मुकदमा किया तो वह अपनी फीस वसूल करने में असमर्थ था। सौभाग्य से अदालत ने कहा कि यह नियम अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में लागू नहीं होता है। इंग्लैंड में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने का कोई खतरा नहीं है और न ही कभी रहा है। एक मध्यस्थता के लिए एक पक्ष का प्रतिनिधित्व, सिद्धांत रूप में, उसके नलसाज, उसके दंत चिकित्सक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है।

उसका चयन, हालांकि विकल्प आमतौर पर संबंधित उद्योग में एक वकील या विशेषज्ञ दावा सलाहकार पर पड़ता है।

10 यू. एन. सी. आई. टी. आर. एल. (अनुच्छेद 4) और एल. सी. आई. ए. नियम (अनुच्छेद 18) दोनों यह स्पष्ट करते हैं कि पक्षकार गैर-वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के हकदार हैं। 11 बीरब्रॉवर, मोंटाबेन, कॉन्डन फ्रैंक बनाम। सांता का सर्वोच्च न्यायालय

क्लारा काउंटी, 1998 कैल लेक्सिस 2; 1998 डब्ल्यू. एल. 1346 (कैल 1/5/98) 12 अर्थात केवल स्थानीय बार के सदस्य को ही किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होना चाहिए।

न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यवाही में। 13 अंग्रेजी मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 36। यह पिछली सामान्य कानून स्थिति की पुष्टि करता है।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया v. ए. के. बालाजी और ओ. आर. एस. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का लंदन न्यायालय

(एल. सी. आई. ए.) नियम (2014)

अनुच्छेद 18-कानूनी प्रतिनिधि

मध्यस्थता में किसी भी पक्ष का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है

" 18.1

द्वारा उपस्थित एक या अधिक अधिकृत कानूनी प्रतिनिधि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष नाम।

18.2 मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन तक, पंजीयक कर सकता है

किसी भी पक्ष से अनुरोध: ((i) प्राधिकरण का लिखित प्रमाण

उस पक्ष द्वारा नामित किसी भी कानूनी प्रतिनिधि को प्रदान किया गया

अपने अनुरोध या प्रतिक्रिया में; और (ii) लिखित पुष्टि

ऐसे सभी पक्षकारों के नाम और पते

मध्यस्थता में प्रतिनिधि। इसके गठन के बाद, किसी भी समय

समय, मध्यस्थ न्यायाधिकरण किसी भी पक्ष को प्रदान करने का आदेश दे सकता है

किसी भी रूप में समान प्रमाण या पुष्टि

उचित "।

चीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और व्यापार

संगठन आयोग (सी. आई. ई. टी. ए. सी.) संगठन

नियम।

अनुच्छेद 22-प्रतिनिधित्व

" एक पार्टी का प्रतिनिधित्व उसके अधिकृत चीनी और/द्वारा किया जा सकता है।

या मध्यस्थता से संबंधित मामलों को संभालने में विदेशी प्रतिनिधि। ऐसे मामले में, एक पावर ऑफ अटॉर्नी होगा

पक्ष या उसके द्वारा मध्यस्थता न्यायालय को भेजा गया

प्राधिकृत प्रतिनिधि "।

मध्यस्थता नियम, मध्यस्थता नियम

इंटरनैशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स।

अनुच्छेद 26-सुनवाई

" 4. पक्ष व्यक्तिगत रूप से या विधिवत रूप से उपस्थित हो सकते हैं।

अधिकृत प्रतिनिधि। इसके अलावा, उनकी सहायता की जा सकती है।

सलाहकारों द्वारा।

"[2018] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नियम और

आर्बिट्रेशन एसोसिएशन आर-26। प्रतिनिधित्व

" कोई भी पक्ष बिना प्रतिनिधित्व (प्रो से) के भाग ले सकता है,

या वकील या पार्टी के चुने हुए किसी अन्य प्रतिनिधि द्वारा, जब तक कि ऐसा विकल्प लागू कानून द्वारा निषिद्ध न हो। इस तरह से प्रतिनिधित्व करने का इरादा रखने वाले पक्ष को दूसरे पक्ष और एएए को प्रतिनिधि के नाम, टेलीफोन नंबर और पता और ईमेल पते के बारे में सूचित करना होगा, यदि उपलब्ध हो, तो प्रतिनिधि के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम सात कैलेंडर दिन पहले।

जिस पर वह व्यक्ति सबसे पहले प्रकट होता है। जब ऐसा प्रतिनिधि मध्यस्थता शुरू करता है या किसी पक्ष के लिए जवाब देता है, तो नोटिस दिया गया माना जाता है।

के प्रत्यायन नियम

सिंगापुर

अंतर्राष्ट्रीय संगठन केंद्र (एस. आई. ए. सी.)

पार्टी के प्रतिनिधि

" 23.1 किसी भी पक्ष का प्रतिनिधित्व कानूनी व्यवसायियों द्वारा किया जा सकता है।

या कोई अन्य अधिकृत प्रतिनिधि। पंजीयक और/या न्यायाधिकरण को किसी भी पक्ष के अधिकार के प्रमाण की आवश्यकता हो सकती है। प्रतिनिधि।

न्यायाधिकरण के गठन के बाद, कोई भी परिवर्तन

23.2 या किसी पक्ष द्वारा अपने प्रतिनिधियों को जोड़ने के बारे में पक्षकारों, न्यायाधिकरण और पंजीयक को तुरंत लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।

संगठन 20. पार्टी का प्रतिनिधित्व और सहायता

" सुनवाई में, एक पक्ष इसके माध्यम से उपस्थित होने का हकदार होगा।

वकील, अधिवक्ता या विधिवत अधिकृत सलाहकार या

प्रतिनिधि या व्यक्तिगत रूप से, पंजीयक या न्यायाधिकरण की संतुष्टि के लिए प्राधिकरण के ऐसे प्रमाण के अधीन। बार काउंसिल ऑफ इंडिया v.

ए. के. बालाजी और ओ. आर. एस. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

30. श्री सी. यू. सिंह, विद्वान वरिष्ठ वकील, प्रत्युत्तर के रूप में,

विदेशी विधि फर्मों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील की प्रस्तुतियों का विरोध किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि केंद्र सरकार का रुख अंततः बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रुख का समर्थन करना था। यह तर्क कि विदेशी वकीलों की भागीदारी देश के हित में होगी, केवल विदेशी विधि फर्मों द्वारा उठाया गया था जैसा कि मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के पैरा 51 से दिखाया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि मध्यस्थ भी एक था

' जिनके समक्ष केवल भारत में नामांकित अधिवक्ता ही उपस्थित हो सकते थे। मध्यस्थ साक्षय दर्ज कर सकता है और न्यायालय (धारा 27) के माध्यम से गवाहों को तलब कर सकता है। मध्यस्थता संस्थानों के नियम देश के कानून के अनुरूप होने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि नियम

भारतीय बार काउंसिल द्वारा धारा 49 के तहत बनाए गए कानून के अभ्यास को परिभाषित करता है ताकि राय देने को भी शामिल किया जा सके।

31. श्री सिंह ने आगे बताया कि भारत में लागू होने वाले पेशे के लिए नैतिकता अन्य क्षेत्रों में लागू होने वाली नैतिकता से अलग है

देशों। इस संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया था कि बी. सी. आई. नियमों के भाग VI, अध्याय II में नियम 36 अधिवक्ताओं द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापन, या किसी भी तरह से अनुरोध को प्रतिबंधित करता है। नियम 18 एक वकील को मुकदमेबाजी करने से रोकता है। बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र बनाम एम. वी. दाभोलकर 1 4 में, इस अदालत ने माना कि विज्ञापन एक वकील के लिए एक गंभीर पेशेवर कदाचार था। इसके विपरीत, अमेरिकी बार एसोसिएशन नियमों के यू. एस. ए. नियम 7.3 में केवल व्यक्तिगत रूप से या ग्राहकों के सीधे टेलीफोन पर अनुरोध करने पर रोक है, लेकिन स्पष्ट रूप से वकील से वकील अनुरोध की अनुमति देता है। साथ ही लिखित, अभिलिखित या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा मुवक्किल का अनुरोध, जब तक कि अनुरोध के लक्षय ने वकील को उसकी अनुरोध नहीं करने की इच्छा से अवगत नहीं कराया है, या अनुरोध में जबरदस्ती, दबाव या उत्पीड़न शामिल है। यू. एस. सुप्रीम कोर्ट, अन्य बातों के साथ-साथ, ज़ाडेरर बनाम ऑफिस ऑफ़ डिसिप्लिनरी काउंसल 1 5 और शापेरो बनाम

केंटकी बार एसोसिएशन ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को रद्द कर दिया

प्रिंट विज्ञापनों या होर्डिंग के माध्यम से ग्राहकों से अनुरोध करने के लिए वकील। ब्रिटेन में सॉलिसिटर रेगुलेशन अथॉरिटी (एस. आर. ए.) एक नियामक निकाय है।

कानूनी सेवा अधिनियम, 2007 के तहत स्थापित। एस. आर. ए. पुस्तिका का अध्याय 8 कानूनी फर्म के प्रचार की अनुमति देता है लेकिन अनुरोधों को प्रतिबंधित करता है। 32. भारत में आकस्मिकता शुल्क के संबंध में, बी. सी. आई. नियमों के भाग VI, अध्याय II में नियम 20 एक वकील को शुल्क निर्धारित करने से रोकता है।

मुकदमे के परिणामों पर या साझा करने के लिए सहमत होने से आकस्मिक

1 4 14 (1976) 2 एस. सी. सी 291

15 471 यूएस 626 (1985)

33. भारत में बार काउंसिल द्वारा 'लॉ प्रैक्टिस की बिक्री' विषय पर कोई नियम नहीं बनाए गए हैं। यू. एस. ए. में, नियम 1.17 कानूनी फर्मों या निजी प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को सद्भावना सहित अपनी प्रैक्टिस बेचने की अनुमति देता है। यू. के. में, एस. आर. ए. दिशानिर्देश एक चालू संस्था के रूप में प्रथा की बिक्री या एक प्रथा के अधिग्रहण की अनुमति देते हैं जो बंद हो रही है। 34. भारत में, वरिष्ठ अधिवक्ताओं को ग्राहकों के साथ सीधे बातचीत करने से रोक दिया गया है, और उन्हें अभिवचन या शपथ पत्र का मसौदा तैयार करने की अनुमति नहीं है।

मुवक्किलों की ओर से पत्राचार करना, या किसी अधिवक्ता की सहायता के बिना अदालत में पेश होना (भाग VI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स का अध्याय I)। यू. एस. ए. में ऐसा कोई भेद या पदनाम नहीं बनाया गया है। यू. के. में, रानी के वकील (क्यू. सी.) पर कोई प्रतिबंध नहीं प्रतीत होता है। भारत में बार काउंसिल द्वारा लगाए गए। क्यू. सी. को कानूनी फर्मों में भागीदार के रूप में शामिल होने की अनुमति है।

35. भारत में, अधिवक्ताओं द्वारा मुकदमेबाजी का वित्तपोषण स्पष्ट रूप से निषिद्ध नहीं है, लेकिन नियम 18 (मुकदमेबाजी को बढ़ावा देना), नियम 20 (आकस्मिकता शुल्क), नियम 21 (कार्रवाई योग्य दावे में हिस्सेदारी या ब्याज) और नियम 22 (निष्पादन में बोलियों में भाग लेना, आदि) का संयुक्त अध्ययन दृढ़ता से सुझाव देगा।

कि भारत में अधिवक्ता अपने मुवक्किलों की ओर से मुकदमेबाजी के लिए धन नहीं दे सकते हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि मुकदमे के वित्तपोषण और मुकदमे के परिणाम के बाद भुगतान प्राप्त करने के लिए तीसरे पक्ष (गैर-वकीलों) पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यू. एस. ए. में, वकीलों को पूरे मुकदमे का वित्तपोषण करने और मामला जीतने पर आय के प्रतिशत के रूप में अपनी फीस लेने की अनुमति है। तृतीय पक्ष मुकदमेबाजी वित्तपोषण/कानूनी वित्तपोषण समझौतों पर प्रतिबंध नहीं है। यू. के. में, न्यायालय और कानूनी सेवा अधिनियम, 1990 की धारा 58 बी कानूनी सेवा प्रदाताओं और वादियों या ग्राहकों के बीच मुकदमेबाजी वित्तपोषण समझौतों की अनुमति देती है, और तीसरे पक्ष के मुकदमेबाजी वित्तपोषण या कानूनी की भी अनुमति देती है।

वित्तपोषण समझौते, जिसके तहत तीसरे पक्ष को इसका हिस्सा मिल सकता है नुकसान या "जीत"।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया v. ए. के. बालाजी और ओ. आर. एस. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

36. भारत में कानूनी प्रैक्टिस करने के लिए गैर-वकीलों के साथ साझेदारी की अनुमति नहीं है। यू. के. में, न्यायालयों और कानूनी की धारा 66

सेवा अधिनियम, 1990 स्पष्ट रूप से वकीलों और बैरिस्टरों को गैर-वकीलों और गैर-बैरिस्टरों के साथ साझेदारी करने की अनुमति देता है।

मुद्दों को ध्यान में रखना

37. हमने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है। सवाल इसके लिए

विचार मुख्य रूप से मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के पैरा 63 के निर्देशों से उत्पन्न होता है जो इस फैसले की शुरुआत में पहले ही उद्धृत किए जा चुके हैं। अर्थात्। :

(i) क्या 'कानून के पेशे का अभ्यास' अभिव्यक्ति में केवल मुकदमेबाजी का अभ्यास या गैर-मुकदमेबाजी का अभ्यास भी शामिल है;

((ii) विदेशी विधि फर्मों या विदेशी वकीलों द्वारा ऐसा अभ्यास किया जाता है।

अधिवक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा किए बिना अनुमति है

अधिनियम और बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियम;

((ग) यदि नहीं, तो क्या विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मुद्दों पर विदेशी कानून के संबंध में कानूनी सलाह देने के लिए उक्त कानूनी फर्मों या वकीलों के लिए 'फ्लाई इन एंड फ्लाई आउट' के आधार पर भारत आने पर कोई रोक है;

(iv) क्या विदेशी विधि फर्मों और वकीलों के लिए मध्यस्थता कार्यवाही और उत्पन्न होने वाले विवादों के संचालन पर कोई रोक नहीं है।

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक से संबंधित अनुबंधों से बाहर

मध्यस्थता;

(v) क्या एकीकृत सेवाएँ प्रदान करने वाली बी. पी. ओ. कंपनियाँ अधिवक्ता अधिनियम या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के दायरे में नहीं आती हैं।

भारत शासन करता है।

आरई: ((i)

38. प्रवीण सी. शाह बनाम के. ए. मोहम्मद। इस प्रकार, यह देखा गया कि अभ्यास करने का अधिकार एक वंश है जिसमें उपस्थित होने और मामलों का संचालन करने का अधिकार विशिष्ट है। यह देखा गया:

अधिवक्ता के लिफाफे का अभ्यास करने का अधिकार उसके द्वारा अपने पेशेवर कार्य के निर्वहन में किए जाने वाले कई कार्यों को दर्शाता है। कर्तव्य। अदालतों में पेश होने के अलावा उसके मुवक्किल उससे सलाह ले सकते हैं, जब भी वह अपनी कानूनी राय दे सकता है।

क्योंकि, वह लिखतों, अभिवचनों, शपथपत्रों या किसी भी दस्तावेज का मसौदा तैयार कर सकता है।

अन्य दस्तावेज, वह किसी भी सम्मेलन में भाग ले सकता है

जिसमें कानूनी चर्चा आदि शामिल हैं।

17 (2001) 8 एससीसी 650 [2018] 3 एस. सी. आर.

पूर्व में। कैप्टन। हरीश उप्पल बनाम भारत संघ 1 8, इसी विचार को दोहराया गया।

39. कानूनी पेशे की नैतिकता केवल तभी लागू नहीं होती है जब कोई अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है। यही बात न्यायालय के बाहर अभ्यास को विनियमित करने के लिए भी लागू होती है। इस तरह की नैतिकता का पालन करना न्याय के प्रशासन का अभिन्न अंग है। समय-समय पर निर्धारित पेशेवर मानकों का पालन करना आवश्यक है। इस प्रकार, हम इस विचार को बरकरार रखते हैं कि कानून के अभ्यास में मुकदमेबाजी के साथ-साथ गैर-मुकदमेबाजी भी शामिल है।

आरई: ((ख)

40. हम पहले ही मान चुके हैं कि कानून के अभ्यास में न केवल अदालतों में उपस्थिति शामिल है, बल्कि राय देना, उपकरणों का मसौदा तैयार करना भी शामिल है।

कानूनी चर्चा से जुड़े सम्मेलनों में भागीदारी। ये गैर-मुकदमेबाजी प्रथा के भाग हैं जो कानून के अभ्यास का हिस्सा है। अधिवक्ता अधिनियम के अध्याय-IV की योजना में यह स्पष्ट किया गया है कि केवल बार काउंसिल में नामांकित अधिवक्ता कानून का अभ्यास करने के हकदार हैं, सिवाय इसके कि किसी अन्य कानून में अन्यथा प्रावधान किया गया है। अन्य सभी केवल उस अदालत, प्राधिकरण या व्यक्ति की अनुमति से उपस्थित हो सकते हैं जिसके समक्ष कार्यवाही लंबित है। अधिवक्ताओं के संचालन के लिए नियामक तंत्र गैर-मुकदमेबाजी के काम पर भी लागू होता है। अधिवक्ता अधिनियम के तहत नामांकित अधिवक्ता के अलावा भारत में किसी भी व्यक्ति पर लागू निषेध निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है। विदेशी भी।

आरई: (iii)

41. किसी भी विदेशी वकील की उड़ान भरने और उड़ान भरने के आधार पर यात्रा करना कानूनी अभ्यास के बराबर हो सकता है यदि यह नियमित आधार पर है। के लिए एक आकस्मिक यात्रा

सलाह देना अभिव्यक्ति 'अभ्यास' द्वारा कवर नहीं किया जा सकता है। क्या कोई विशेष यात्रा आकस्मिक है या बार-बार होती है ताकि यह अभ्यास के बराबर हो, यह तथ्य का सवाल है जिसे स्थिति से स्थिति में निर्धारित किया जाना चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया या भारत संघ इस संबंध में उचित नियम बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। हालाँकि, हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि यह तर्क कि अधिवक्ता अधिनियम केवल तभी लागू होता है जब कोई व्यक्ति भारतीय कानून का अभ्यास कर रहा हो, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके विपरीत, यह दलील कि एक विदेशी वकील खुद को नियामक के अधीन किए बिना भारत में विदेशी कानून का अभ्यास करने का हकदार है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के तंत्र को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हम इस तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि अधिवक्ता अधिनियम कंपनियों या फर्मों और केवल व्यक्तियों से संबंधित नहीं है। यदि निषेध किसी व्यक्ति पर लागू होता है, तो यह व्यक्तियों के समूह या न्यायिक व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है।

18 (2003) 2 एस. सी. सी. 45 बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम ए. के. बालाजी और ओ. आर. एस. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

आरई: ((iv)

किसी संस्थान के विशेष नियमों द्वारा शासित या यदि मामला अन्यथा धारा 32 या 33 के तहत आता है, तो निर्धारित तरीके से ऐसी कार्यवाही करने पर कोई रोक नहीं है। यदि मामला एक अंतरराष्ट्रीय द्वारा शासित है वाणिज्यिक मध्यस्थता समझौता, कार्यवाही का संचालन मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों के साथ पठित धारा 32 या 33 के तहत आ सकता है। ऐसे मामलों में भी, भारत में कानूनी पेशे पर लागू होने वाली आचार संहिता, यदि कोई हो, का पालन करना होगा। यदि उचित समझा जाए तो इस संबंध में एक विशिष्ट प्रावधान करना बार काउंसिल ऑफ इंडिया या केंद्र सरकार का काम है।

आरई: (v)

43. बी. पी. ओ. कंपनियाँ जो अपने ग्राहकों को अनुकूलित और एकीकृत सेवाओं और कार्यों की श्रृंखला प्रदान करती हैं, वे अधिवक्ता अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन केवल तभी कर सकती हैं जब सूक्ष्म और सार में गतिविधियाँ कानून के अभ्यास के बराबर न हों। जिस तरह से उन्हें स्टाइल किया गया है वह निर्णायक नहीं हो सकता है। जैसा कि पहले ही समझाया जा चुका है, अगर उनकी सेवाएँ नहीं

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कानून का अभ्यास करने के लिए, अधिवक्ता अधिनियम लागू नहीं हो सकता है। यह एक ऐसा मामला है जिससे तथ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए मामले-दर-मामले के आधार पर निपटा जा सकता है। 44. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम निर्णय के पैरा 63 (i) में बॉम्बे उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण को बरकरार रखते हैं कि विदेशी विधि फर्म/कंपनियां या विदेशी वकील वकालत नहीं कर सकते हैं।

भारत में कानून का पेशा या तो मुकदमेबाजी में या गैर-मुकदमेबाजी पक्ष में। हालाँकि, हम पैरा 63 (ii) में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देश को संशोधित करते हैं कि विदेशी विधि फर्मों या विदेशी वकीलों के लिए भारत में अपने मुवक्किलों को विदेशी कानून या उनकी अपनी विधि प्रणाली और विविध अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मुद्दों पर कानूनी सलाह देने के उद्देश्य से "फ्लाई इन एंड फ्लाई आउट" आधार पर अस्थायी अवधि के लिए भारत आने पर कोई रोक नहीं थी। हमारा मानना है कि "फ्लाई इन एंड फ्लाई आउट" अभिव्यक्ति केवल एक आकस्मिक यात्रा को शामिल करेगी जो "अभ्यास" के बराबर नहीं होगी। एक विवाद के मामले में कि क्या एक विदेशी वकील आकस्मिक आधार पर खुद को "उड़ान भरने और उड़ान भरने" तक सीमित कर रहा था भारत में अपने मुवक्किलों को विदेशी कानून या उनकी अपनी कानून प्रणाली और विविध अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मुद्दों के बारे में कानूनी सलाह देने का उद्देश्य या क्या वह वास्तव में ऐसा व्यवहार कर रहा था जो निषिद्ध है

बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित किया जाएगा। हालाँकि, बार काउंसिल [2018] 3 एस. सी. आर.

भारत सरकार या भारत संघ इस संबंध में उचित नियम बनाने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसमें ऐसे मामलों में भी लागू होने वाली आचार संहिता का विस्तार करना शामिल है।

45. हम पैरा 63 (iii) के निर्देश में भी संशोधन करते हैं कि विदेशी वकीलों को मध्यस्थता करने के लिए भारत आने से रोका नहीं जा सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से संबंधित अनुबंध से उत्पन्न होने वाले विवादों के संबंध में कार्यवाही। हमारा मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से संबंधित अनुबंध से उत्पन्न होने वाले विवादों के संबंध में मध्यस्थता कार्यवाही करने का विदेशी वकील का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है। यदि संस्थागत मध्यस्थता के नियम लागू होते हैं या मामला मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों द्वारा कवर किया जाता है, तो विदेशी वकील कर सकते हैं अधिवक्ता अधिनियम की धारा 32 और 33 को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से उत्पन्न मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन से प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। हालाँकि, वे भारत में कानूनी पेशे पर लागू आचार संहिता द्वारा शासित होंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया या

भारत संघ इस संबंध में नियम बनाने के लिए स्वतंत्र है।

46. हम पैरा 63 (iv) में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देश को भी संशोधित करते हैं कि बी. पी. ओ. कंपनियाँ विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती हैं

वर्ड प्रोसेसिंग, सेक्रेटेरियल सपोर्ट, ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज, प्रूफ रीडिंग सर्विसेज, ट्रैवल डेस्क सपोर्ट सर्विसेज आदि जैसी कस्टमाइज्ड और इंटीग्रेटेड सर्विसेज और फंक्शन एडवोकेट्स एक्ट, 1961 या बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के दायरे में नहीं आते हैं। हमारा मानना है कि ऐसी सेवाओं के केवल लेबल को निर्णायक नहीं माना जा सकता है। यदि वास्तव में सेवाएं कानून के अभ्यास के बराबर हैं, तो अधिवक्ता अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे और विदेशी कानून फर्म या विदेशी वकील। ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

दीवानी अपीलों का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

अपी

लों का निपटारा किया गया।

कल्पना के. त्रिपाठी